

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 दिसम्बर, 2005

खण्ड-3, अंक-1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 14 दिसम्बर, 2005

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव	(1)
तारांकित प्रान एवम उत्तर	(1)11
नियमो 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तरांकित प्रानो के लिखित उत्तर	(1)28
अतारांकित प्रान एवम उत्तर	(1)36
घोशणाए	
(क) अध्यक्ष द्वारा,	(1)41
चेयरपर्सनज के नामो की सूची	(1)41
अनुपस्थिति संबधी सूचना	(1)41
सचिव द्वारा	(1)42
(ख) राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलो सम्बन्धी	

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी का पहली रिपोर्ट	(1)42
वाक आउट	(1)44
सदन की मेज पर रखे गए/पुन रखे गए कागज पत्र	(1)45
विधान कार्य	(1)47
दि हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड (अमैडमैट) बिल, 2005	(1)47
दि कुरुक्षेत्र भाराइन (रिपील) बिल, 2005	(1)48
दि हरियाणा पचायंती राज (अमैडमैट) बिल, 2005	(1)52
दि हरियाणा पचायंती राज (अमैडमैट) बिल, 2005	(1)55
दि हरियाणा पचायंती राज (सैकण्ड अमैडमैट) बिल, 2005	(1)56
दि हरियाणा इणस्ट्रियल प्रोमी ाल बिल, 2005	(1)58

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 14 दिसम्बर, 2005

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार एच0एस0चट्टा) ने अध्यक्षता की।

भाक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Chief Minister will make obituary refernces.

मुख्यमंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवे न के समाप्त होने के बाद और इस अधिवे न समाप्त होने के भुरु तक बहुत से गण मान्य सदस्य हमारे बीचम मे नही रहे है जिसमे श्री के0आर0 नारायणन और दूसरे इम्पोटैंट सदस्य है। उनके बारे मे मै सदन मे भाक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हू।

श्री के0आर. नारयण, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति

यह सदन भारत के राष्ट्रपति श्री के0आर0 नारायणन के 9 नवम्बर, 2005 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाक प्रकट करता हू।

उनका जन्म 27 अक्टूबर, 1920 को हुआ। उन्होंने ट्रावनकोर वि विविधालय मे प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए अग्रेजी साहित्य मे स्नातकोतर की डिग्री प्राप्त की तथा लंदन स्कूल आफ

इकनाकिमस से राजनीति पास्त्र मे वि ेशता के साथ बी0एस0सी0 अर्थ पास्त्र आनर्स प्रथम श्रेणी मे उर्तीण की। उन्होने समाचार पत्र हिन्दू, मद्रास और टाइम्स आफ इंडिया, बम्बई मे एक पत्रकार के रूप मे कार्य किया। इसी दौरान उन्हे गांधी जी मे साक्षात्कार लेने का अवसर मिला।

ये 1949 प्रतिष्ठित भारतीय विदे ा सेवा मे भामिल हुए। वे वि ाव के प्रमुख दे ां मे राजदूत रहे तथा 1976 मे विदे ा सचिव बने। वे 1978 से 1980 तक जवाहन लाल नेहरू वि वधालय मे उप कुलपति रहे। इसे उपरांत वे 1980 से 1984 तक संयुक्त राज्य अमेरिका मे राजदूत रहे।

वे 1984, 1989 और 1991 मे तीन बार लोकसभा के लिए चुने गये तथा 1984-89 के दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे। वे 1992 के भारत के उप राष्ट्रपति चुने गए तथा 1997 मे भारत के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को सु ाभित किया। श्री के0आर0 नारायणन बहु आयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जो केवल कठिन परिक्षम के बल पर राष्ट्र के सर्वोच्च सवैधानिक पद पर पहुचे।

गहर अध्ययन िल एवम लेखनी के धनी श्री नारायणन ने कई पुस्तके लिखी तथा पत्र पत्रिकाओ मे सामाजिक, राजनैतिक अन्तर्राष्ट्रीय एवम साहित्यिक विशायों पर नियमित रूप से लेख लिखे। दे ा विदे ा मे अनेक वि वविधालयो ने उन्हे डांक्टरेट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया। वे भौक्षणिक, सांस्कृतिक

इत्यादि अनेक सगठनों से जुड़े रहे। वे सवैधानिक सुचिता के प्रबल पक्षधर थे तथा कमजोर वर्गों के हितों के सच्चे हितैशी थे। उनकी विविध सेवाओं के कृतज्ञ राष्ट्र याद रखेगा। उन्होंने अपने लम्बे तथा यशस्वी जीवन में शिक्षाविद्, पत्रकार, राजनयिक एवम राजनीतिज्ञ के रूप में अमिट छाप छोड़ी।

उनके निधन से देश एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद्, अनुभवी राजनयिक, दूरदर्शी राजनेता कुल प्रभावसक एवम एक विविध सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री शिव राम वर्मा, भारत के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन भारत के मंत्री श्री शिव राम वर्मा के 21 नवम्बर, 2005 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हूँ।

उनका जन्म 15 अप्रैल, 1917 को हुआ। वे 1967, 1972 और 1977 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए। वे 1979 से 1982 तक मंत्री रहे। वे सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक एवम योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री जोगेन्द्र सिंह, भारत के भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन भारत के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री जोगेन्द्र सिंह, 16 अगस्त, 2005 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हूँ।

उनका जन्म 10 जून, 1940 को हुआ। वे 1968, 1972 और 1991में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए। वे 1991 से 1996 तक राज्य मंत्री रहे। उनकी कुलीनता के प्रति गहरी रूचि थी और वे स्वयं भी अच्छे पहलवान थे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक एवम योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री गोपी चंद गुप्ता, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गोपी चन्द गुप्ता के 11 दिसम्बर, 2005 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हू।

उनका स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल गए। वे 1952 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए।

उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक एवम योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हू।

आनोरी कैप्टन उमरपव सिंह, विक्टोरिया क्रॉस विजेता

यह सदन भारत के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री जोगेन्द्र सिंह, 16 अगस्त, 2005 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हू।

वे द्वितीय विश्व युद्ध के वीर नायक थे। वे 10 जनवरी, 1938 को भारतीय तोपखाने की 22वीं रेजिमेंट में भर्ती हुए। उन्होंने दिसम्बर, 1994 में वर्मा क्षेत्र में अकेले ही एक जबरदस्त जापानी हमले को नाकाम किया। उन्हें बाद में अपनी तोप के पास असहाय अवस्था में पाया गया। उनके भारीर पर सात गहरे घाव थे

तथा उन्हें पहचाना नहीं जा रहा था। उनके इर्द गिर्द दस जापानियों की लां पडी हुई थी। उन्होंने भानदार वीरता, भाौर्य और कर्तव्य के प्रति निशठा का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। इस बहादुरी के लिए उन्हें विक्टोरिया क्रांस से सम्मानित किया गया।

अध्यक्ष महोदय उनकी याद में उनके गांव पलडा में 27 तारीख को स्पे ल भर्ती की जा रही है।

उनके निधन से दे ा एक वीर सैनिक तथा हरियाणा एक महान् सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हू।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है, जिन्होंने दे ा की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। वे एक एक करके हमारे को छोडकर जा रहा है।

इन महान स्वन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं:

1. श्री गणपत राय भार्मा, गांव हुमांयुपुर, जिला सोनीपत।

2. श्री प्रभुदयाल, गांव मुमताजपुर, जिला रेवाडी।

3. श्री मांगे राम, गांव सुनारियां कंला, जिला रोहतक ।
4. श्री जय सिंह, गांव ढिगांना, जिला जीन्द ।
5. श्री बख्तावर सिंह, गांव लहराडा, जिला सोनीपत ।
6. श्री केहर सिंह, गांव जमालपुर, जिला गुडगांव ।
7. श्री राम सिंह, गांव ललहेडी खुर्द, जिला सोनीपत ।
8. श्री मं ि राम, गांव बरौदा, जिला सोनीपत ।
9. श्री केहर सिंह, गांव भापडौदा जिला झज्जर ।
10. श्री दाना राम, गांव बिचपडी, जिला हिसार ।
11. श्री जागे राम, गांव हुमायुपुर, जिला झज्जर ।
12. श्री उमराव, गांव हुमायुपुर, जिला झज्जर ।
13. श्री जागे राम, गांव मातनहेल, जिला झज्जर ।
14. श्री सुखराम लाखलाण, गांव सुरपुरा, जिला भिवानी ।
15. डा० फतेहचन्द, फरीदाबाद ।
16. श्री चमनलाल पुनियानी, अम्बाला ।
17. श्री उदय सिंह, गांव किला जफरगढ, जिला जींद ।
18. श्रीमती वीरां देवी, असन्ध, जिला करनाल ।

19. श्री रामस्वरूप, गांव किशिकंधा, जिला भिवानी ।
20. श्री भगवान सिंह, गांव झावरी, जिला भिवानी ।
21. श्री अजीत सिंह, गांव हडौदी, जिला भिवानी ।
22. श्री रती राम, गांव गढी, जिला हिसार ।
23. श्री बनारसी दास, महम, जिला रोहतक ।
24. श्री जीवन दास, गांव कहनौर, जिला रोहतक ।
25. श्री हरदत्त सिंह, गांव स्याहडया, जिला हिसार ।
26. श्री पूरण सिंह, गांव फरीदपुर, जिला फरीदाबाद ।

यह सदन इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को भात भात नमन करात है और इनको भाोक संतप्त परिवारों के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

हरियाणा के भाहीद

यह सदन उन वीरो को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लडते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया ।

इन महान् वीर सैनिको के नाम इस प्रकार है:—

1. लैफ्टिनेंट कमांडर आंकारसिंह, भााति नगर पानीपत ।

2. कैप्टन महेन्द्र सिंह, गांव कासनी, जिला झज्जर।
3. लैफ्टिनेंट समित, गांव बादली, जिला झज्जर।
4. सुबेदार सुरेन्द्र सिंह, गांव नौरगंबाद, जिला भिवानी।
5. सुबेदार सत्यनारायण मोर, गांव बरौदा, जिला सोनीपत।
6. सुबेदार जगदी 1 चन्द्र, गांव गोसाईं खेडा, जिला जीन्द।
7. सहायक उप निरीक्षक अजीत सिंह, गांव गोकलगढ, जिला रेवाडी।
8. नायक खडक सिंह, गांव मीरपुर कौराली, जिला फरीदाबाद
9. नायक रिसाल सिंह, गांव दूलोठ, जिला महेन्द्रगढ।
10. हवलदार राजवीर, गांव केलांगा, जिला भिवानी।
11. हवलदार गिन्द्र सिंह, गांव केलांग, जिला भिवानी।
12. हवलदार राजेद्र सिंह, गांव ढांणी कोलाणा, जिला रेवाडी।
13. हवलदार र गीद अहमद, गांव सिरौली, जिला गुडगांव।

14. हवलदार कर्ण सिंह, गांव मानकावास, जिला भिवानी ।
15. हवलदार सतबीर सिंह यादव, गांव नोताना, जिला महेन्द्रगढ ।
16. हवलदार सुभाश चन्द्र, गांव गुलियान, जिला कैथल ।
17. हवलदार बिजेन्द्र सिंह, गांव लाढौत, जिा रोहतक ।
18. लांस नायक हरजिन्द्र सिंह, गांव तेपला, जिला अम्बाला ।
19. लांस नायक राम किान, गांव मामडिया आसनपुर, जिला रिवाडी ।
20. लांस नायक य तपाल, गांव रोहणा, जिला सोनीपत ।
21. सिपाही महेन्द्र सिंह, गांव ढाणी जोरावत, जिला रेवाडी ।
22. सिपाही नरे त कुमार, गांव नौरंगाबाद, जिला भिवानी ।
23. सिपही धर्म सिंह, गांव निमडी, जिला भिवानी ।

24. सिपाही बिजेन्द्र यादव, गांव निामोड, जिला रेवाडी ।
25. सिपाही बलदेव सिंह, गांव फर्कपुर, जिला यमुनानगर ।
26. सिपाही संदीप धनखड, गांव आलियार ढाणा, जिला गुडगांव ।
27. सिपाही प्रदीप कुमार, गांव मानकपुर ललहाडी, जिला यमुनानगर ।
28. सिपाही प्रदीप, गांव अलेवा, जिला जींद ।
29. सिपाही मुके 1, गांव बीरण, जिला भिवानी ।
30. सिपाही राम कुमार, फतेहबाद ।
31. सिपाही बिजेन्द्र सिंह, गांव बलियाणी, जिला भिवानी ।
32. सिपाही जय प्रका 1, गांव लडायन, जिला झज्जर ।
33. सिपाही राजेन्द्र सिंह, गांव रधना, जिला सिरसा ।
34. सिपाही सुरे 1, गांव बिसान, जिला झज्जर ।
35. सिपाही सुखबीर, गांव सीसर, जिला रोहतक ।
36. सिपाही वीरेन्द्र पाल, जगाधरी, जिला यमुनानगर ।

37. सिपाही कृष्ण कुमार, गांव खेडी भोरंखा, जिला कैथल ।

38. सिपाही करता, गांव बोसवाल, जिला फतेहबाद ।

39. सिपाही राजकुमार, गांव निलौठी, जिला झज्जर ।

40. सिपाही प्रवीण कुमार, गांव खुडाना, जिला महेन्द्रगढ ।

41. सिपाही सुरजीत सिंह, बराडा, जिला अम्बाला ।

यह सदन इन महान् वीरों की भाहादत पर इन्हें भात भात नमन करता है और इनको भाोक संतप्त परिवारों के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

भीशण भूकम्प

यह सदन 8 अक्टूबर, 2005 को जम्मू कामीर तथा पाकिस्तान मे आए भीशण भूकम्प मे मारे गए हजारो लोगो के दुखद व असामयिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है । इस भूकम्प मे हुई क्षति अकल्पनीय है । इस भूकम्प से लोगो पर जो कहर बरपा, उसका भाब्दो मे वर्णन नही किया जा सकता ।

यह सदन दिवंगतो के भाोक संतप्त परिवारों के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है और भूकम्प पीडितों के भीघ्र पुनर्वास की कामना करता है ।

दिल्ली बम विस्फोट त्रासदी

यह सदन 29 अक्टूबर, 2005 को दिल्ली में हुए बम विस्फोट में मारे गए मासूमों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा भाव प्रकट करता है।

यह सदन ऐसी जघन्य घटना की घोर निन्दा करता है तथा दिवंगतों के भाव संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री फूल चन्द मुलाना की माता, श्रीमती नत्थी देवी और धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी। हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री आजाद मोहम्मद के चचेरे भाई, श्री इस्लाम; हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री धर्मवीर सिंह की माता, श्रीमती फलपति; हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री निर्मल सिंह के भांजे, श्री विक्रम सिंह; हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री धर्मवीर गाबा के भाई लैफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश गांबा; हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री परमवीर सिंह के भाई, श्री हरमीत सिंह तथा हरियाणा के वित्त मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह के साले में बेटे, श्री अर्जुन के दुःखद निधन पर गहरा भाव प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के भाव संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

डा० सु गील इन्दौरा (एस०सी० ऐलनाबाद): आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और इस सदन के नेता ने जो भाक प्रस्ताव सदन मे रखा है मै उसका अनुमोदन करता हू और मै अपनी और से, अपनी पार्टी की तरफ से और पार्टी के नेता चौधरी ओमप्रका । चौटाला की तरफ से इन सभी दिवंगत आत्माओ के परिवारो के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हू। सबसे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन जो एक आम आदमी से अपनी मेहनत और काबलियत के दम पर भारतवर्ष के प्रथम पुरुश के पर पर पहुचे के प्रति भाक प्रकट करता हू। जब मै सांसद था उस समय वे भारत के राष्ट्रपति थे। मुझे उनसे मिलने का कई बार मौका मिला। उनकी जो कार्य भौली थी उसे देखकर लगता था कि ऐसे लोग चाहे सामाजिक स्तर पर और चाहे राजनैतिक स्तर पर हो वे दे । की सेवा करे। उन्होने हर बात अपने हक की बात कही। इस बारे मे हमे कई उदाहरण उनके देखने को मिल सकते है। माननीय श्री के०आर० नारायणन को अगर कोई बात दे । के प्रति सही नही लगी तो उन्होने उस बात को सही ढंग से अपनाने के लिए कह। ऐसे लोग अगर दुनिया से चले जाये तो उसका अभाव जरूर खलता है श्री के०आर० नारायणन जी लोकसभा के सदस्य भी रहे और उन्होने सदन की गरिमा को बनाये रखा। यह हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते है तो हमे उनके आचरण पर चलते हुए हमे सदन की गरिमा और मर्यादा को अपनाना चाहिए।

उसी प्रकार से इस सत्र और पिछले सत्र के बीच मे हमारे कई साथी जिन्होने राजनीतिक रूप से सेवा की और सदन के भीतर उनका अच्छा प्रभाव रहा वे हमारे से बिछूड कर चले गए। श्री विठ्ठलराम वर्मा जो हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री रहे, हांलाकि मै उनको व्यक्तिगत तौर पर नही जानता लेकिन उनको बाते लोगो से सुनते है कि वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और बडी सूझबूझ राजनीति के धनी व्यक्ति थे। उनके निधन पर मै अपनी पार्टी की तरफ से गहरा भाोक व्यक्त करता हू। श्री जोंगेन्द्र सिंह जो भूतपूर्व राज्य मंत्री थे, और श्री गोपी चन्द गुप्ता के निधन पर भाोक संतप्त परिवार के सदस्यो के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हू। माननीय कैप्टन उमराव सिंह जी जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे, वे अपने जख्मो की परवाह न करते हुए भी दे आ के प्रति इतना काम किया, उनके निधन पर मै गहरा भाोक प्रकट करता हू। हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी जिन्होने दे आ की आजादी की लडाई लडी और दे आ की आजादी के स्वतन्त्रता संग्राम मे कूदे और अपनी प्राणधो की आहुति की परवाह न करते हुए उन्होने अपने दे आ को आजाद करवाने का काम किया और वे आज हमारे बीच मे नही रहे। जो 26 नाम दिए गए है मै उनके निधन पर इनके भाोक संतप्त परिवार के सदस्यो के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हू। हरियाणा के भाहीद जिन्होने हमारे दे आ की सीमाओ की रक्षा करते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने प्राणो की बलि दी उनके भाोक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हू। जो 8.10.2005 को

भीशण भूकम्प आया था, वह पाकिस्तान में भी आया था। पाकिस्तान से हमारा पारिवारिक रिश्ता है, चाहे हमारी सीमाएं बंटी हुई हैं लेकिन आज भी हमारे वहां मरे हैं, उन भाग्य संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। एक हादसा दिल्ली में हुआ, दिवाली का त्योहार जो खुशियाँ का त्योहार होता है इस त्योहार से थोड़ा पहले ही जहाँ हम खुशियाँ मानने जा रहे थे वही इस देश को उजाड़ने के लिये असामाजिक तत्वों ने एक बम विस्फोट किया जिसमें काफी बेकसूर लोग मारे गये, उनके परिवार के प्रति मैं गहरा भाग्य प्रकट करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे मंत्री साथी श्री फूलचन्द मुलाना जी को थोड़े से अर्से में ही दो असामयिक वेदनाएँ झेलनी पड़ी। पहले तो उनकी धर्म पत्नी का निधन हुआ फिर थोड़े ही समय में 4-6 महीने के अंतराल में उनकी माता का भी निधन हो गया। मंत्री जी तो बहादुर व्यक्ति हैं। परमात्मा ने जो कर दिया सो कर दिया उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। मुझे उनकी धर्मपत्नी और माता के निधन पर गहरा दुःख है। मैंने इनसे दो तीन बार सम्पर्क साधने की कोशिश की, मैं इनके घर भी गया और इनके दफ्तर में भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिल सका मंत्री जी आज बैठे हैं और मैं अपना वह मलाल आज प्रकट करता हूँ। मैं इनके परिवार के प्रति हार्दिक दुःख और गहरा भाग्य प्रकट करता हूँ। मैं कल जब मैं उनके लिए आ रहा था, मुझे किसी ने बताया कि धर्मबीर सिंह जी की माता जी गुजर गई हैं। धर्मबीर जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरा उनसे पारिवारिक रिश्ता है। उनकी माता और हमारी माता में कोई फर्क

नहीं है, मैं स्वयं इनके घर जाकर भोक संपत परिवार में शामिल होना चाहता था लेकिन हमें कई बार जानकारी नहीं हो पाती। आज धर्मवीर जी बैठे हैं मैं दिल से इनकी माता के निधन पर गहरा भोक प्रकट करता हूँ। मां से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। मां के साथ बेटा क्षणिक भी बात कर ले तो पता नहीं मां का कितना आशीर्वाद मिल जाता है। मुझे दुख है कि मेरे साथी भाई धर्मवीर जी अब मां के आशीर्वाद से मरहूस हो गए। विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री आजाद मोहम्मद जी के चचेरे भाई श्री इस्लाम के निधन पर मैं गहरा दुख प्रकट करता हूँ। निर्मल सिंह जी जो हमारे विधान सभा के सदस्य हैं, के भांजे श्री विक्रम सिंह के निधन पर गहरा भोक प्रकट करता हूँ। हमारे किसी भी साथी के साथ कोई दुखद घटना हो जाए तो हमारा सामाजिक स्वाभाविक और व्यावहारिक फर्ज बनता है कि हम उनके दुख में शामिल हों। धर्मवीर गाबा जी जो इस महान सदन के सदस्य हैं उनके भाई सेवानिवृत्त लैफ्टिनेंट कर्नल श्री वेद प्रकाश गांवा के निधन पर मैं गहरा भोक प्रकट करता हूँ। मैं परमवीर सिंह के भाई श्री हरमीत सिंह के निधन पर गहरा भोक प्रकट करता हूँ। ये मेरी पार्लियामेंट्री कंस्टीच्यूंसी टोहाना से है, मेरा उनसे अच्छा रिश्ता रहा है। मैं जब सांसद था तो टोहाना मेरी पार्लियामेंट्री कंस्टीच्यूंसी में था। मेरा उनसे मिलता जुलना था। वे समाज सेवक के तौर पर जाने जाते थे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के साले के बेटे श्री अर्जुन सिंह के निधन पर गहरा भोक प्रकट करता हूँ। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जिनका पिछले सत्र में इस सत्र

की बीच निधन हुआ है जो हमारी जानकारी में नहीं है, कई न कही हमारे परिवार से जुड़े हैं और सदन के साथियों से जुड़े हैं, मैं उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। हमारे पूर्वी मंत्री श्री एम०एल० रंगा के पिता के निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ वे सामाजिक और राजनीतिक तौर पर इस देश की सेवा करते रहे हैं।

श्री रामकुमार गौतम (नारनौंद): अध्यक्ष महोदय, जो शोक प्रस्ताव यहां आए हैं उन सबके परिवारों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ और शोक प्रकट करता हूँ। वैसे तो जो आदमी इस धरती पर आता है उसे जाना ही होता है, उसी हिसाब से ही ये सब गए हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो पैदा होने के बाद मरते दम तक देश की सेवा करते रहे और देश के प्रति समर्पित रहते हैं। श्री० के०आर० नारायणन देश के ऐसे ही महान सपूत थे जिन्होंने 36 बिरादरी के गरीब लोगों की बहुत ज्यादा सेवा की तथा समाज के प्रति समर्पित रहे। उनके लिए मैं सबसे ज्यादा शोक प्रकट करता हूँ और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अपने लिए तो हर आदमी काम करता है, बदामांिया भी करता है, भौतानिया भी करता है और करप्टान भी करता है लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो देश और समाज के लिए काम करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश और समाज के प्रति निर्लिस भाव से काम किया और देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम किया। विशेषकर

हरियाणा के भाहीदो को मैं अपनी सच्ची श्रद्धाजलि अर्पित करता हू तथा उनके परिवारो के प्रति मैं संवेदना प्रकट करते हुए उनके निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हू। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यहा पर भी कहना चाहूंगा कि इन भाोक प्रस्तावों मे एक नाम छूट गया है और मैं यह निवेदन करता हू कि यह नाम भी इन प्रस्तावो की सूची मे जोड लिया जाए। हमारे इस सदन के पुराने सदस्य श्री सीता राम जी सिंगला का नौजवान बेटा गुजर गया है मैं चाहता हू कि उनका नाम भी इन भाोक प्रस्तावो की सूची मे जोडा जाए। अध्यक्ष महोदय, जितने लोगो के नाम इन भाोक प्रस्तावो मे भामिल है उन सभी के परिवारो के प्रति मैं हार्दिक संवेदना तथा गहरा भाोक प्रकट करता हू।

श्री नरे । कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, इस सदन मे आज जो भाोक प्रस्ताव लगाया गया है मैं उसका समर्थन करता हू। आदरणीय श्री के०आर० नारयणन हिन्दुस्तान के गरीब, कमजोर और बैकवर्ड लोगो के मसीहा थे और जीवनपर्यन्त वे इन लोगो की सेवा मे समर्पित रहें उन्होने राष्ट्रपति के गरिमामय पद पर पहुच कर सच्चाई, जनकल्याण के लिए बहुत ही अच्छे कदम उठाए। उन्होन कभी भी किसी भी कदम पर रूकने की कोि । । नही की। हमारे प्रदे । मे पानी की समस्या के मामले पर हम लोग श्री के०आर० नारायण के आफिस मे पैदल मार्च करके पहुचे थे उनसे मिलने पर हमने यह जाना कि पानी के डिस्ट्रीब्यू ।न के मामले वे कितने सीरियस और चिन्तित थे और वे चाहते थे कि

सारे प्रदेशों में सभी जगहों पर पानी का इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिए। दुख का विषय है कि आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। उनके परिवार के प्रति मैं गहरा भाव तथा संवेदना प्रकट करता हूँ। इन भाव प्रस्तावों में जितने भी लोगों के नाम शामिल हैं मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उनके परिवार के प्रति हार्दिक भाव प्रकट करता हूँ। मातृभूमि की रक्षा के लिए जो जवान भाहीद हुए हैं उनके परिवारों के प्रति भी मैं गहरी अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। विशेषकर हरियाणा प्रदेशों के चारों कोनों में हम सुनते हैं कि हमारे नौजवान भाहीद होते रहे हैं। ऐनसिलरी कार्यवाही में पहाड़ियों में खबर आ जाती है कि हमारे जवान अपनी छाती पर गोली खाकर भाहीद हो गये हैं उन सभी जवानों के परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदन प्रकट करता हूँ और जितने भी नाम इस लिस्ट में शामिल हैं उन सभी के प्रति मैं अपनी संवेदन प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही आदरणीय फूल चन्द मुलाना जी के साथ जबरदस्त हादसा हुआ उन्हें असहनीय क्षति को सहन करना पड़ा। उस वक्त विधानसभा सत्र चल रहा था और इनका एक पैर विधान सभा के अन्दर रहता था और दूसरा पैर होस्पिटल के अन्दर रहता था क्योंकि उस वक्त उन अपनी बीमार पत्नी को सम्भालने की जिम्मेदारी थी। उस वक्त उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा और बड़ी हिम्मत से इन्होंने उसका मुकाबला किया। बहुत दुख की बात है इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया और इसके साथ ही माता जी का जाना। उस दुख और मुसीबत की घड़ी में इन्होंने बड़ी हिम्मत से उसका सामना करना

पडा। मैं इनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। श्री जोगिन्द्र सिंह जोग को मैं पर्सनली जानता था उनके साथ मुझे हिसार में रहने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के उपाध्यक्ष जी के चचेरे भाई श्री इस्लाम, हमारे सदन के एक दूसरे सदस्य श्री परमवीर सिंह जी के भाई हरमीत सिंह विधायक श्री निर्मल सिंह के भांजे तथा चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी के साले के बेटे श्री अर्जुन का देहान्त हो गया है इस बारे में हमें परसों ही पता चला था। चौधरी धर्मबीर सिंह जो हमारे भाई हैं, उनकी माता श्रीमती फूलपति जी को देहान्त हो गया है। इसके बारे में हमें आज ही पता चला है। मैं इन सभी साथियों के दुख में स्वयं को शामिल करता हूँ और इनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ आज के इस सत्र में पिछले सत्र के दौरान भाोक प्रस्ताव करता हूँ और अपनी सच्ची श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमे वर से यह प्रार्थना है कि वह इन दिवंगत आत्माओं को भांति प्रदान करें और उनके परिवारों को इस असहनीय दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें।

शिक्षा मंत्री श्री फूल चन्द मुलाना: आदरीणय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता ने जो भाोक प्रस्ताव सदन में रखे हैं मैं हृदय से उनका समर्थन करता हूँ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री के०आर० नारायण ने देश के सबसे दबे हुए तथा गरीब परिवार में पैदा हुए अपनी मेहनत से उन्होंने देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया। भारत राष्ट्रपति के तौर पर कार्य

करके उन्होंने यह साबित करके दिखाया कि राष्ट्रपति केवल रबड स्टैम्प नहीं होता। अपनी काबलियत के आधार पर उन्होंने इस देा के अन्दर राष्ट्रपति के पद को नई दिा दी। इस वर्तमान सत्र तथा पिछले सत्र के दौरान वे हमसे विदा हो गये।

मैं अपनी और से और प्रान्त के सारे दलित समाज की ओर मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। इसी तरह से श्री िाव राम वर्मा और श्री जोगेन्द्र सिंह दोनों ही हमारे साथ सदन के सदस्य रहे हैं। वे बहुत सूझबूझ वाले सदस्य रहे हैं। उन्होंने इस प्रान्त को सच्चे मन से सेवा की है। स्पीकर साहब, हमारे बीच में से बहुत से स्वतन्त्रता सेनानी भी चले गये हैं। उन्होंने देा की आजादी के लिए अग्रंजो की जेलों में अपनी आधी जवानी काट है। उन्होंने अपने बलिदान के बदले में देा में कभी कुछ नहीं मांगा है। श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जी ने उनके परिवारों को पेांन देने का काम किया था हम उन्हें भात भात नमन करता है और उनके बलिदान के प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। इसी तरह से हमारे बीच में से बहुत से सैनिक मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए बलिदान हो गए हैं। हमारे तेल्ला और ललहाडी तथा प्रदेा की कई अन्य जगहों पर सिपाही भी भाहीद हो गए हैं हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। स्पीकर सर, हमारे देा में पिछले दिनों बहुत भूकम्प आया था, उसमें हमारे बहुत से लोग, महिलाएं और बच्चे हताहत हुए थे। अध्यक्ष महोदय, कुदरत की भाक्ति के आगे किसी

की नहीं चल सकती है। मानव धर्म है कि उन सभी की मदद की जाए। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने, सभी मंत्रियों ने और हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उन लोगों के लिए सहायता भेजी है। अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति चला गया है वह वापिस तो नहीं आ सकता है। हम उन मरने वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। स्पीकर साहब, अभी पिछली रात में और आज दोपहर को भी चण्डीगढ़ में भूकम्प के हल्के हल्के झटके आए हैं। हम परमपिता से प्रार्थना करते हैं कि दोबारा से ऐसा प्राकृतिक प्रकोप न दिखाए

इसी तरह से दिल्ली में बम विस्फोटक हुए और उसमें कई लोग मारे गए थे। यह काम इन्सानियत से जुड़े हुए लोगों का नहीं है। वहां पर जिन निहत्थे लोगों का नहीं है। वहां पर जिन निहत्थे लोगों पर अत्याचार हुआ है हम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं।

भाई धर्मबीर गाबा, हमारे विधायक, डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद और हमारे पुराने साथी सरदार हरपाल सिंह तथा धर्मबीर इन सबके साथ भी हादसे हुए हैं। मैं इन सभी के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं सदन का और मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी आभारी हूँ कि इन भोक्त प्रस्तावों में मेरी माताओं और पत्नी का नाम भी जोड़ दिया गया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और इन

भाब्दो के साथ इन दिवंगत आत्माओ को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हुआ अपना स्थान लेता हू। धन्यवाद।

परिवहन मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे पुरान मंत्री श्री सीता राम जी सिंगला के लडके का नाम जोडने के लिए जो रामकुमार गौतम जी ने कहा है कि उनका नाम भी इन भाोक प्रस्तावो मे जोडा दिया जाये। इसके अलावा भूतपूर्व विधायक डा0 एम0एल0 रंगा के पिता जी का नाम जिसके बारे मे श्री इन्दौर जी ने कहा है को भी इन भाोक प्रस्तावो मे जोड दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। Hon'ble Members, I associate myself with the feelings of sorrow at the said demise of great personalities who have left us during the intervening period of the last session and about whom references have been made in the House Shri K.K Narayana was the first Dalit President of India. Prior to joining politics, he was career diplomat. He was elected to the Parliament thrice and become Vice President in 1992 and adorned the highest office of the President in 1997. He served in the Cabinet of Later Shri Rajiv Gandhi. He had a distinguished carreer in Foreingn Services too. He emerged as one of the outstanding personalities of our country. Shri Shiv Ram Verma was a Minister of out State, who elected to the Vidhan Sabha thrice in 1967, 1972, and 1977. He was a seasoned legislator. He held various offices in various organizations of our State. Likewise, Ch. Joninder Singh was also Minister of our State. He was elected to the Vidahan Sabha thrice in 1968, 1972, and 1991. He was a good

wrestler. Shri Gopi Chand Gupta was a former Member of Joint Punjab Legislative Assembly. He was freedom fighter, who took active part in the freedom struggle and was imprisoned. Honorary Capt. Umrao Singh was winner of Victoria Cross. Who fought in World War-II By his personal example and magnificent bravery. He set a supreme example of gallantry and devotion to duty. For this act of gallantry. He was honoured with Victoria Cross. Besides, I also pay my homage to the Freedom Fighters and martyrs who left us. We can not forget their patriotic services. In addition, I pay my homage to the sufferers of devastating. Earth quake that shocked Asian Sub Continent and also the sufferers of the Bomb Tragedy that took place in Delhi Just before Divali and ID festival this year. I also pay me homage to other departed souls who have left us and about whom a mention has been made in the resolution. I will convey the deep sympathies of this house to the bereaved families. Now, I would request you to stand and observe silence for two minutes as mark of respect to the memory of departed souls.

(At this stage the House stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the deceased.)

ताराकित प्रान एवम उतर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहिबान, अब सवाल होंगे।

**Making an Amendment in the Indian Stamp
(Haryana Amendment) Act, 2000**

**Shri Karan Singh Dalal @ Shri Ram Kumar
Gautam:** Will the Minister for revenue be pleased to state

whether there is any proposal under consideration of the Governemnt to bring a Legislation for amending the Indain Stamp Haryana Amendment Act, 2000 to add the words “Self Acquired” in addition to ancestral in section (a) of the said Act ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): No Sir.

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो सवाल मैंने दिया है ? यह जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है। एक व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में बनी हुई है कि इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के रूल के तहत अगर कोई बाप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद अपने बेटे या अपने भाई को देना चाहता था तो दे दिया करता था और उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी लगा करती थी उससे छूटकारा मिला जाता था लेकिन पिछले दिनों हाई कोर्ट की किसी जजमेंट की वजह से या मुझे पता नहीं किस वजह से यह व्यवस्था बंद कर दी गई है। पिछली सरकार जाते जाते इसमें एक अमैडमेंट लाई, जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वर्ष 2000 में जो अमैडमेंट लाई गई पढ़कर मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें लिखा है:—

“If the release is made of ancestral property in favour of brother or sister (Children of renouncer’s parents) or son or daughter or father or mother or spouse or grand children or nephew or niece or co partener of renouncer.

उनके लिए पिछले सरकार ने व्यवस्था की कि ऐनसैन्ट्रल प्रोपर्टी को जो पुरखो की जायदाद है उसे 15 रूपये की स्टांप पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें मेरा सवाल यह था कि क्या सरकार इस इंडियन स्टांप एक्ट 1899 में कोई नया अमेंडमेंट लेकर आएगी कि ऐनसैन्ट्रल प्रोपर्टी के साथ सैल्फ ऐक्वायर्ड प्रोपर्टी को भी इसमें जोड़ दिया जाए। अगर कोई बाप जमीन खरीदता है या प्लॉट खरीदता है तो उसको यह अधिकार होना चाहिए कि वह ऐनसैन्ट्रल प्रोपर्टी की तरह अपनी प्रोपर्टी अपने बेटे को दे, बेटी को दे, इससे झगड़े खत्म होंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, दलाल साहब।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात सदन में रखी है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 2002 से पूर्व अंडर आर्टिकल 55 भौड्यूल 1 ए आफ इंडियन स्टांप एक्ट 1899 में यह था कि एक्ट में कोई रिलीज डीड जो थी वह किसी भी व्यक्ति को बजाय इसके कि केवल ऐक्सैन्ट्रल प्रोपर्टी के किसी व्यक्ति को या जो उनका को आंनर या को भोयरर हो जाया करता था, इस प्रकार से उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। लोग केवल 15 रूपये के स्टांप पेपर या रिलीज डीड करवाते थे। जो कंविस डीड का प्रावधान था, उनसे बचने के लिए लोग केवल 15 रूपये के स्टांप पेपर रिलीज डीड करवाते थे। जिसेसे स्टेट एक्सचेंजर को काफी नुकसान हो रहा था, उस चीज का प्लग करने के लिए यह जो प्रोविजन लाया गया है, यह सही

प्रोविजन है। मैं समझता हूँ कि यह जो ऐक्सैन्ट्रल प्रोपर्टी का प्रवाधान रखा गया है वह इसलिये रखा गया है कि अगर सैल्फ ऐक्वायर्ड तरीके से करने लगगे तो इसका बड़ा भारी दुरुपयोग होगा और कोई भी व्यक्ति या प्रोपर्टी डीलर्स भी इस तरीके से दुरुपयोग कर सकता है। इसलिये मैं समझता हूँ कि सैल्फ ऐक्वायर्ड प्रोपर्टी को इससे दूर ही रखा जाये नहीं तो जो पोता है उसके लिए भी यह प्रापर्टी ऐक्सैन्ट्रल प्रोपर्टी हो जाएगी। After some time it will also become ancestra property. मेरा कहना यह कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सैल्फ ऐक्वायर्ड वाली बात नहीं है।

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, यह जो रिलीज डीड थे, वे मोटे तौर पर इस अमैडमेंट के बाद लगभग खत्म हो गए, फर्ज करो कि एक बाप की डैथ हो गई तो उसकी बहन भाई है और बहर ने आकर ऐक्सैन्ट्रल प्रोपर्टी थी उसकी रिलीज डीड करवा ली। उसके बाद फर्ज करो बहन ने भाई को वह प्रापर्टी देनी है या ऐक्सचेंज करनी है या प्रापर्टी बाप ने बेटी को देनी है या फिर वे कहते हैं कि इसमें तो कोई डिक्री हो चुकी है कोर्ट बीच में आ चुकी है इसलिए ऐक्सैन्ट्रल तो खत्म हो चुकी है। बहन ने भाई के नाम जमीन करनी है तो यह कहते हैं कि कुछ भी नहीं रहा यह तो निरा फ्रांड हो गया है। रिलीफ डीड मोटे तौर पर समाप्त हो चुकी है। ऐक्सैन्ट्रल जो वर्ड है एक भाई को दूसरे भाई के नाम प्रापर्टी करवानी है और यह भी उस जमीन की रजिस्टरी कराये तो

इससे ज्यादा जुल्म की बात और कोई नहीं हो सकती। मैं तो यह कहता हूँ कि वर्ष 2000 में इस एक्ट में जो एमेंडमेंट की गई है मेरे ख्याल से यह चौटाला साहब की रिलीज में हुआ होगा इस प्रकार की गडबड की के काम वे ही कर सकते हैं इसको आप ठीक कराये। मैंने अपने भाई को कहा कि 4 कनाल जमीन मेरे नाम करवा दे। ऐक्सैन्ट्रल प्रोपर्टी के बारे में तहसीलदार कहता है कि यह मैं नहीं कर सकता। (विघ्न)

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister has understood your question. Donnot put the Story. आप अपना सवाल पूछिये कहानी मत बनाइये। गोतम जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाये।

श्री राम कुमार गौतम: सर, मैं अपना सवाल ही कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: गौतम जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाये।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, ऐक्सैन्ट्रल प्रोपर्टी पर कोई रोक नहीं है। अगर कोई उस जमीन की डिक्री करा लेता है तो उसके बाद ही उस जमीन को किसी के नाम करने में दिक्कत आती है लेकिन ऐक्सैन्ट्रल प्रोपर्टी पर कोई रोक नहीं है। वह जमीन रिलीड डीड हो जाता है जैसा माननीय सदस्य ने कहा है इस प्रकार की कोई बात नहीं है और न ही इस प्रकार की कोई रिक्वायत मेरे पास आई है।

श्री राम कुमार गौतम: सर,

श्री अध्यक्ष: गौतम जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाये।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली सरकार जब इस बिल को लेकर आई थी और उस समय पर जब यह एक्ट बनाया गया था तब भी उस समय के मंत्री जी को मैंने कहा था कि हमें इस बारे में कोई एतराज नहीं है लेकिन स्टेट का रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब कोई आदमी अपने जीवन काल में जमीन खरीदता है तो उसको कहा जाता है कि उसको दूसरे के नाम नहीं किया जा सकता, उसकी मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति के नाम की जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँता हूँ कि ऐक्सैन्ट्रल प्रोपर्टी के लिए भी ऐसा प्रोविजन होना चाहिये कि उस आदमी के जीत जी ही वह जमीन दूसरे के नाम की जायेगी। इससे कोई रेवेन्यू कम नहीं होता। पिछली सरकार के समय जब यह एक्ट बना उसकी कापी मेरे पास है। उस समय भी मैंने उस समय के रेवेन्यू मंत्री चौधरी धीरपाल जी को कहा था उस समय जो ये बिल लेकर आये थे उसके आब्जैक्ट्स एण्ड रिजन्स में यह लिखा हुआ था कि “ It has been observed that the existing provision under Article 55 of Schedule IA of the Indian Stame Act, 1899 regarding “Release Deed” is being misused by Co owners. Co-Shares etc. for renouncing their interest, share prt or claim in favour of another co-owner.” सरकार से मेरा केवल एक निवेदन है कि सैल्फ ऐक्वायर्ड प्रापर्टी के लिए इस बिल में एक अमेडमेंट कर देनी चाहिए।

Mr. Speaker: Thank You. ठीक है |The Minister has understood the question.

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, उसमे कोई रेवेन्यू का नुकसान न हो लेकिन एक बाप अपने बेटे को प्रापर्टी दे सकता है।

श्री अध्यक्ष: दलाल जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाये।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे है उसको हम एग्जामिन करा लेगे और उसके बाद कोई कार्यवाही कर ली जाएगी लेकिन इस बारे मे मै कुछ नही कह सकता।

श्री० धर्मपाल सिंह मलिक: माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल बहुत ही सिम्पल था लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसको कम्प्लीकेट कर दिया। सैल्फ ऐक्वायर्ड को रिफाईन किया जा सकता है सैल्फ ऐक्वायर्ड प्रापर्टी ऐनसैस्टरल के अन्दर इन्कलूड की जा सकती है। ऐनसैस्टरल प्रांपर्टी की इनकम से अगर कोई सैल्फ ऐक्वायर्ड प्रांपर्टी खरीदी गई है तो उसको उसमे भामिल किया जा सकता है। It should be considered as ancestral property. मै मंत्री जी से जानना चाहता हू कि क्या ये ऐक्सैन्ट्रल प्रोपर्टी खरीदी है तो उसके ऐक्सैन्ट्रल प्रोपर्टी मानेगे या नही।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो विचार रखे हैं उनको सरकार एगजामिन करा लेगी और उसको बाद यथोचित फैसला कर लिया जाएगा।

Setting up of Sub Station in Gohana Tehsil

125. Shri Dharampal Singh Malik: Will the Chief Minister be please to be state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up more 33/66 KV Sub Stations in Gohana Tehsil ot provide regular supply of electricity, if so, the details thereof?

Revenue Minister (Capt Ajay Singh Yadav): The proposal to set up a new 132 Sub statin at village Mindiana. 33 KV sub stations at village. Bali Brahman and Khanpur Khurd in Gohana Tehsil are being examined for technical viability.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक: माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा मे जो वायरिंग हुई है वह तकरीबन 35-40 साल पहले की हुई है और उसकी वजह से बहुत से लाईन लोसिज है और इसी कारण बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हू कि जो 700 करोड रूपये की राजीव गांधी रूरल इलैक्ट्रीफिके ान की योजना है, उसमे क्या इन पुरानी तारो को रिप्लेस करने के बारे मे सरकार कोई विचार कर रही है क्योकि हर गांव मे इस प्रकार की ि ाकायते है कि पुराने तारे टूट जाती है और दुर्घटनाएं होती है, क्या इस किस्म का कोई विचापर है कि सार इन्फ्रास्ट्रक्चर की

रिमांडलिंग की जाए। जो बहुत पुराने कंडक्टर है उनको रिप्लेस करने के बारे में सरकार सोच रही है ताकि लाइन लोसिज कम हो और ट्रिपिंग जो होती है वह भी कम हो सके।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है मैं इनको बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन था और यह योजना उस स्टेट्स के लिए थी जहां इलैक्ट्रीसिटी पहुंची थी, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और बोर्ड के सदस्यों ने सेंटर में बातचीत करके हरियाणा को इस परियोजना में शामिल करवाया, बहुत कोशिश करके 700 करोड़ रुपये इस योजना के तहत हरियाणा के लिए मंजूर करवाये गए हैं। जो यहां पुरानी तारों की बात कही गई है, तो जिन जिन गांवों में पुरानी तारे हैं और इस प्रकार के कोई डिफैक्ट है उन गांवों को इस योजना में कवर किया गया है।

प्रो० छतर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, विलेजिज के अन्दर जी पोलस है और तार कंडक्टर लगे हुए हैं वे बहुत नीचे हैं, मकानों की दीवारों के साथ सटे हुए हैं या बहुत से पोल किसी ने किसी मकान के अन्दर या किसी प्लॉट के अन्दर खड़े हैं। लोग डिपार्टमेंट को इन तारों को हटाने के लिए गुजारिश करते हैं तो वे बहुत लम्बा चौड़ा बिल बनाकर दे देते हैं जिसको पे करना गरीब की हैसियत से बाहर है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के तहत जो 700 करोड़ रुपये आने हैं क्या उनमें उन गरीब किसानों को इस किस्म के खतरे से बचाने के लिए

इलैक्ट्रीफिके ान को ठीक करने के लिए प्रावधान किया जा रहा है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जिन लोगो के प्लाट्स लाल डोरे के बाहर है और उनका इलैक्ट्रीफिके ान पहले ही हो चुका है, लोगो ने वहां प्लाट्स ले लिए और वहां मकान बना लेते है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि अगर वहा कोई बिजली की िरिफिटिंग करनी है तो ओनर्ज को ही पे करना पडता है और जहां लाल डोरे मे कोई मकान होते है और वहां तारो की इस प्रकर की कोई दिक्कत होती है तो उस स्थिति मे बोर्ड अपने लैवल पर उसको ठीक करवाता है। अध्यक्ष महोदय, जहां भी कही इस प्रकार की दिक्कते है वहा राजीव गांधी विधुतीकरण परियोजना के तहत सुधार करवा रहे है और जहां पोल नीचे है उनको भी ठीक करने की बात की जा रही है।

श्रीमती अनीत यादव: अध्यक्ष महोदय, मैने पिछली सरकार मे भी कहा था और आज भी एक बात कर रही हू कि गांवो के अन्दर जो लोहे के खम्भे है, गांवो मे कई जगह तो घरों के अन्दर भी खम्भे है इन खम्भो को हटाने बारे प्रबन्ध किया जाए। पीछे सै ान मे एक प्र ान के जवाब मे कहा गया था एक पोल का 7000 रूपये का रेट था और हमारी सरकार ने 3500 रूपये पर पोल करने का प्रावधान किया था। लेकिन अभी भी रिवाडी मे इस पोलिसी का प्रावधान नही किया गया कि 3500 रूपये पर पोल के हिसाब से खम्भा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मै

आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि हमारे रिवाडी जिले में इस पोलिसी को कब तक लागू कर दिया जायेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जहां तक खम्भो के रेट की बात है तो बोर्ड ने ये रेट पहले ही फिक्स कर रखे हैं। जहां तक माननीय सदस्यों ने लोहे के खम्भो के बारे में कहा है तो उनको चेंज कर रहे हैं क्योंकि कई गांवों में इस प्रकार की ि ाकायते हैं। जहां भी इस प्रकार की ि ाकायते हैं वहां हम इन लोहे के खम्भो को चेंज कर रहे हैं।

डा० सीता राम: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि वर्ष 2004-05 के अन्दर कितने सब स्टे ान नये कमी ान किए हैं और कितने सब स्टे ान्ज की आंगमैटै ान की गई है ?

Mr. Speaker: This is not possible to reply. (Interruptions) It is not relevant supplementary. Please take you seat. (Interruptions) पूरे सूबे के बारे में आफ हैण्ड एक मंत्री क्या कह सकता है। (विधन) It is not relevant supplementary. Please take you seat.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद बिजली के सिस्टम में पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है लेकिन इसके साथ ही कुछ प्राकृतिक चीजे हैं जिनके कारण बिजली के उत्पादन प्रभावित होता है और सिस्टम पर असर पड़ता है। (विधन) हमारी सरकार की मन् ा खराब नहीं

है जबकि इनकी सरकार की मन्ता में खराबी थी। (विधन) अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार से ये बीच में टोकाटोकी करेंगे तो मुझे इनकी बात का जवाब भी देना पड़ेगा इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इनको डिसिप्लिन में लाएं। (विधन)

श्री अध्यक्ष: इस प्रकार बीच में टोकाटोकी न करें। (विधन) मलिक साहब आप अपना सप्लीमेंटरी पूछें इनकी बात पर कोई ध्यान न दें।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां पर लो वोल्टेज की बड़ी भारी समस्या रहती है। यह सवाल गोहाना तहसील से सम्बन्धित है और मैं इसको स्टैटवाईज नहीं ले जाना चाहता मैं सिर्फ गोहाना तहसील की ही बात करूंगा। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार किसी प्रकार का कोई प्रावधान कर रही है या इस बारे में कोई विचार कर रही है?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, सोनीपत जिले के मुण्डालाना में 132 के०वी० का एक सब स्टेशन 9-10 करोड़ रुपये की लागत से हम बनाने वाले हैं। मार्च 2006 में इस सब स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और 18 महीने से इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की सम्भावना है। इसी प्रकार से ढाणी ब्रह्मण में तथा गोहाना तहसील में खानपुर खुर्द में 33 के०वी० का

नया सब स्टे इन लगाने पर सरकार विचार कर रही है और हम इसकी वांयब्लिटी चैक कर रहे हैं। इसको बचाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और इस बनाने में तीन महीने का समय लगेगा। फिरोजपुर नंगल में 132 के0वी0 का सब स्टे इन है सरदाना कंला में 33 के0वी0 खानपुर कलां में और कण्डली में सब स्टे इन आगुमेंट होंगे जिसमें सवा तीन करोड़ रूपये लगेगे। करसाना में सब स्टे इन वर्ष 2008 में कमी इन हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, गोहना तहसील तथा जिला सोनीपत के बारे में मैंने माननीय सदस्य तथा सदन की जानकारी दे दी है।

श्री राम कि इन फौजी: अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी योजना के तहत ढाणिया में बिजली के कनैक्ट इन देने का प्रावधान है और यह योजना राज्य में चलाई जा रही है मंत्री जी ने तो कहा है कि लाल डोरे से बाहर जो एरियाज है उनमें कनैक्ट इन्ज नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, पिछले 15-20 साल से लाल डोरा नहीं बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूँ कि लाल डोरे से थोड़ा बाहर जो ढाणिया है क्या उनमें भी बिजली के कनैक्ट इन देने का प्रावधान करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि यह मामला पंचायत तथा रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स से सम्बन्धित है लेकिन इसको भी हम देखेंगे। पिछले दिनों काफी मैम्बर्ज इसमें कसंड रहे तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह कहा

है कि लाल डोरे को एक्सटैंड किया जाए। ऐसी ढाणियां के बारे में जहां पर ज्यादा क्लसटर्ज है इसके बारे में मुझे कन्फर्म नहीं है माननीय सदस्य बाद में मुझ से मिलकर पता कर ले कि वे इसमें इन्कलूडिड हैं या नहीं।

15.00 बजे

श्री अनिल ठक्कर: स्पीकर साहब, मैं मंत्री से जानना चाहूंगा कि सोनीपत जिले गोहाना तहसील को ही फायदा होगा या इसके आसपास के गांवों को भी उस सब स्टेप में फायदा पहुंचेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इस 132 के 0वीं सब स्टेप में केवल गोहरान तहसील की बात नहीं, बल्कि इससे काफी एरिया को फायदा पहुंचेगा।

श्री अर्जुन सिंह: अध्यक्ष महोदय, सभी साथी लाल डोरे की बात कर रहे हैं। हमने भी इसके लिए बहुत दरखासते दे द हैं हम बहुत परेशान हो चुके हैं लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं किया गया है। मंत्री जी ने कहा था कि लाल डोरे के जिन मकानों के ऊपर से बिजली की तारे गुजर रही हैं, उन सभी तारों को हटा देंगे, लेकिन आज तक एक भी तार वहां से नहीं हटी है। इसके अलावा लाल डोरे से बाहर के मकानों के ऊपर से तारों को हटाने में इतना खर्च हो जाता है कि उससे अच्छा तो वह वहां पर से अपना मकान हटाने में ही भलाई समझता है। लेकिन उसकी

मजबूरी यह है कि वह अपना मकान उठाकर कहा पर ले जाए। स्पीकर साहब, मेरे हल्के में बलाचौर गांव है। वहां पर एक लकड़ी के खम्बे पर तार लगी हुई थी और वह लाइन बहुत बड़ी है। स्पीकर साहब, यह लाइन आगे बंद पड़ी है।

श्री अध्यक्ष: अर्जन सिंह, तारों के नीचे मकान बनाये जाते हैं न कि बाद में मकानों के ऊपर से तारे लगाई जाती हैं जहां पर खाली जगह होती है वही पर ही तारे लगाई जाती हैं। प्लीज आप अपनी सीट पर बैठें। नैक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।

Waiving of the amount of outstanding Electricity Bills

129. Dr. Surshil Indora: Will the Chief Minister be please to be state-

(a) the total amount of outstanding electricity bills of domestic and agricultural consumers in rural areas of the State have been waived off since the announcement of the waiving of outstanding arrears of electricity bill to date.

(b) the number of consumers benefited from the scheme referred to in part "a" above.

(c) the total amount of outstanding electricity bills is still pending against the defaulting consumers as referred to in part 'a' above; and

(d) the details of the amount of arrears of electricity bills cleared as a result of surcharge waiver scheme, disconnecting defaulters and drive for recovery of arrears of electricity bills from July 1999 to 31st March, 2005 ?

Revenu Minister (Capt Ajay Singh Yadav):

(a) On the basis of the number of persons who have opted till date for the waiver scheme an outstanding amount Rs. 1055 Crores is eligible to be waived off under the Pending Settement Scheme of Arrears for Rural Areas, subject or regular payment of current bills for 20 months from 17-6-2005 on wards.

(b) Eight Lac Seventy Four Thousand two hundred Nineteen consumers have opted for the Scheme.

(c) Five Lac Thrity One Thousand Six Hundred Twenty Eight consumers having arrears of Rs. 722.06 Crores have yet to opt for the scheme, which stands extended till 31-01-2006.

(d) Under different waiver schemes during the period from July, 1999 to March, 2005 about Rs. 556 Crores of arrears of electricity bills were settled. On this amount of Rs. 269 Crores was waived off and Rs. 287 Crore revovered.

डा० सु गील इन्दैरा: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास, जो जवाब आया है उसमे मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है और यहां पर मंत्री जी उसका जवाब दे रहे है। जब 1600 करोड की माफी की योजना लागू की गई तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन मे ये भर्ते लगाई थी कि यह भर्ते होगी, तो यह माफी होगी, अध्यक्ष महोदय, इनका जो आज का जवाब है अगर उसको पढे तो उसमे भी आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कृप्या इस बारे मे ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को मै

पढता हूँ “अब तक छूट योजना को अपनाने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर 1055 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बकायों की लम्बित निपटाना योजना के अन्तर्गत छूट के लिए पात्र है।” अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट तौर पर पूछा है कि राज्य में ग्रामीण योजनाओं पर कितना रुपया अब तक माफी योजना के तहत वेवआफ किया गया है। (विधन) अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए मैं इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से पूछना चाहता हूँ। (विधन)

श्री अध्यक्ष: इन्दौरा जी, आप कहानी न करें। Please put the supplementary.

डा० सु गील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं कहानी नहीं गढ़ रहा हूँ, आप मेरी बात को पूरी हो जाने दें। इसी तरह से आप प्रश्नान “घ” में देखें तो सरकार की तरफ से इसका स्पष्ट जवाब नहीं है। ‘घ’ पार्ट वालों के कर्नैकलान काटना तथा बिजली बिलों के बकायों की वसूली के लिए अभियान के परिणामस्वरूप बिजली बिलों के बकायों को भुगतान की गई राशि का ब्यौरा क्या है? इस बारे में सरकार की तरफ से जवाब आया है लगभग 556 करोड़ रुपये।

श्री अध्यक्ष: इन्दौरा साहब, आप सवाल पूछ रहे हो यहाँ बहस कर रहे हो।

डा० सु गीला इन्दौरा: सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: यह पब्लिक स्टेज नहीं है आप अपना प्रश्न पूछें।

डा० सुशिला इन्दौरा: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आप वस्तुस्थिति बताएँ कि आज तक कितना रूपया वेवआफ किया गया है, इससे कितने लोगों को फायदा पहुँचा है, कितने घरेलू लोगों ने इसका फायदा उठाया है और कितनों में कृषि क्षेत्र में इसका फायदा उठाया है। (विधन)

श्री अध्यक्ष: इन्दौरा जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यह जो श्रीमान वहाँ पर बैठे हुए हैं इनकी सरकार ने लोगों से गलत वायदे थे कि हम आपके बिजली के बिल माफ कर देंगे और इनकी वजह से आज किसान कर्जे में दब गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इस सरकार ने किसानों के लिए यह बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है और लोगों के बिलों का बहुत बड़ा अमाउंट माफ किया है। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के बहकावे में आकर लोगों पर बहुत भारी कर्जा चढ़ गया था। (विधन) इन्होंने पूछा कि टोटल कितने डिफाल्टर्स हैं। मैं इनको बताना चाहूँगा कि जो टोटल डिफाल्टर्स थे वह 14.5 लाख थे जिसमें से एग्रीकल्चर सैक्टर के डिफाल्टर्स 2.58 लाख थे। इस स्कीम के तहत जिन्होंने ओप्ट किया वह 2.14 लाख थे यानी 83 परसेंट फार्मर्स ने ओप्ट किया

है। इन लोगों की सरकार ने तो सिर्फ़ संरचार्ज माफ़ किया था लेकिन हमारी सरकार ने पूरे का पूरा लोन माफ़ कर दिया है। आपकी तरह से नहीं कि इतने पैसे ले लिए और तब वेव आफ़ किया। हमारी तो सीधी बात है कि आप बीस करन्ट बिल पे करो और एक बिल के साथ पांच परसेंट माफ़ हो जाएगा। मैं इनको बताना चाहूंगा कि डोमैस्टिक सैक्टर के अन्दर इन लोगों की मेहरबानी की वजह से 11.47 लाख डिफ़ाल्टर्ज थे जिसमे 6.60 लाख लोगो ने ओप्ट किया है यानी 57.54 परसेंट लोगो ने ओप्ट किया है इन्होंने जो टोटल डिफ़ाल्ट अमाउंट के बारे में पूछा है कि वह कितना था तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह इन डा आर्डर आफ़ 1660.52 करोड रूपये था। बाद में यह इंक्रीज करके 1777 करोड रूपये हो गया। हमारी सरकार ने प्रिंसपल अमाउंट 1244 करोड रूपये और 533 लाख रूपये जो सरचार्ज के तौर पर किसानों पर था, उसको माफ़ किया है। जो टोटल कंज्यूमरर्ज है उनके बारे में हमने 6 तारीख को कहा था कि बीस महीने तक जो मंथली पेमेंट करेगे उनका 5 प्रति टत of the defaulting amount will be totally waived off. इस तरह से हम बिल नहीं ले रहे हैं हम करन्ट बिल ले रहे हैं। 1777 करोड रूपये इस सरकार ने माफ़ किया है। (विधन) 1777 करोड रूपये हमने माफ़ किया है। इनके समय में कितना माफ़ हुआ था वह भी मैं आपको बता देता हूँ।

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप इस समय की बात बताएँ उनके समय का तो सबको पता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जो इनका आखिरी क्वैश्चन था उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने टोटल अमाउंट रिकवर किया है वह 2.87 करोड़ रुपये था जबकि 268 करोड़ रुपये देव आफ किया गया है। इन्होंने केवल सरचार्ज ही माफ किया और हम पूरे का पूरा कर्जा माफ कर रहे हैं। यही फर्क है इनमें और हममें। (विघ्न)

डा० सु गीला इन्दौरा: स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनिए।

श्री अध्यक्ष: इन्दौरा जी आप बैठिए।

प्रो० छतर पाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी सरकार का, जिसने गरीबों की आवश्यकता को दिमाग में रखते हुए बिना किसी वायदे के यह काम किया। हमारी पार्टी की सरकार आने से पहले हमने इस बारे में कोई वायदा नहीं किया था। लेकिन उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों को रिलीफ दिया और आज प्रदेश के किसान पुरी भाति के साथ अपनी सरकार को इस रिलीफ को भोग रहा है। मैं इसी से संबंधित सवाल पर आता हूँ। इंदौरा साहब का इससे संबंधित सवाल पूछने का अधिकार नहीं था क्योंकि इनकी पार्टी का मसला तो बिजली का बहुत खराब था। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अगर सवाल इनका है तो इनका ही नाम लूंगा। मैं चौटाला साहब का नाम कैसे लूंगा वे तो यहां पर हैं नहीं तो इन्हीं का नाम लूंगा।

डा० सु गीला इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, सभा के मुझे जलील किया जा रहा है। He has no right to say like out. This is not the way, मेरा सवराल पूछने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: इंदौरा साहब, आपका सवाल पूछने का अधिकार है। No body can do it. मैं दोनों तरफ के सदस्यों से कहता हूँ कि वे बैठ जाएं। Indora Ji please take your seat (interruptions) Prof. Samt Singh. This is not the way, I also request you that please take your seat. (Interruptions) Indora Ji, Please take your sent. (Interruptions)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): इंदौरा साहब, आपकी कही बात को मैं रखा रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: इंदौरा साहब, कृपा करके आप बैठ जाएं।

डा० सु गीला इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को मर्यादा का पूरा ध्यान रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद इन्दौरा साहब।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: माननीय सदस्य श्री छतरपाल सिंह जी की भावना यह थी कि सवाल इन्दौरा साहब का है, इनकी भावना में, इनकी अदब में छतरपाल सिंह जो ने कोई ऐसा लफज नहीं बोला है जो इनकी भावना के खिलाफ हो। (गोर एवम व्यवधान) मैं इन साथियों को बताना चाहूंगा कि पूरे आराम से रहे। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इस सदन के नेता हैं। कांग्रेस

पार्टी की सरकार प्रान्त मे है, जलील करने वाली सरकार चली गई, वह व्यक्ति अब सदन मे भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: छतर पाल जी, आप सवाल पूछिए।

प्र० छतर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सरकार ने किसानों के हक मे बहुत से फैसले किए हैं। एक तो मैंने जो गरीब किसानों के बारे मे सवाल किया था उस बारे मे आ वासन चाहता हूँ कि देहात के अंदर जो बिजली की दिक्कत है, खंभे, तार, पोल पिंटिंग की जो दिक्कत है इस योजना के तहत यह पैसा उसमे डालकर क्या आप गरीबों को रिलीफ दे सकते हैं। इसमे संबधित मेरा दूसरा सवाल यह है कि बिजली विभाग ने अच्छी मुहिम चला रखी है उसमे बिजली चोरी के कलाप्रिट पकडे भी जा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ कई बार ऐसे केसिज नोटिस मे आते हैं जहां पर थैफ्ट जस्टीफाइड नहीं है और उसमे पैनल्टीज लगा दी जाती है। क्या सरकार और मंत्री महोदय इस बात का कोड आ वासन देगे कि गरीब आदमी को बिना पैनल्टी का पैसा जमा कराए इस तरह के केसिज की इंक्वायरी करवा कर पैसा जमा करायेगे, क्योंकि गरीब आदमी इतना पैसा पैनल्टी का भरने की स्थिति मे नहीं होता इसलिए थैफ्ट के केस की पूरी जांच करके ही पैनल्टी डाली जाए। या पैनल्टी डल जाती है तो उसमे बिना पैसा जमा कराए कोई अपील दलील सुनी जाए, इस तरह का कोई प्रावधान सरकार करेगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव: जहा तक सवाल थैफ्ट का है, थैफ्ट के मामले मे हमने कोई प्रोत्साहन नही देनी है अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको बाकायदा मीटर लगना चाहिए। जहां तक थैफ्ट का सवाल है उसमे कोई रियासत देने की बात नही है।

श्री भुपेन्द्र सिंह हुडा: अध्यक्ष महोदय, इस बारे मे कई साथियो ने चर्चा की है। भाई छतर पाल जी को मै बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी विधुतीकरण की जो योजना है उसके अंतर्गत बायफरेके इन आफ फीडर्स हम कर रहे है। उसके तहत रूरल, ऐग्रीकल्चर और इण्डस्ट्रीज के अलग अलग फीडर्स होंगे, उससे ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके अंतर्गत कुदरती बात है कि फीडर्स अलग अलग कर रहे है तो पुरानी तारे भी बदली जाएगी जहां तक थैफ्ट का सवाल है जैसे इस बारे मे मंत्री जी कहा है, थैफ्ट को हमने कोई प्रोत्साहन नही देना है। बिजली की कंपनियां बनी हुई है और उनके बाकायदा अपने कायदे कानून है। सबको यह अधिकार है कि अगर कोई गलत थैफ्ट का केस बनता है उसको सब की प्लीज करने का अधिकार है।

Setting up of work shop for repairing of Electronic Transformers

130. Shri Naresh Yadav: Will the Chief Minister be please to state whaether there is any proposed under consideration of the Governement to set up a workshop for the repair of electionic transformers at Ateli or Narnaul of district Mahendergarh.?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): No

Sir

श्री नरे । यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के सीधे सीधे नो मे जवाब दिया है। मैं सदन से जानना चाहता हू कि जितना महेन्द्रगढ मे खासतौर से नारनौल व अटेली के अंदर सबसे ज्यादा ट्रासफार्मर जलते है और वहां नहर का पानी बहुत ही मात्रा मे आता है। ट्रासफार्मर को ठीक कराने के लिए हिसार जाना पडता है और दो दो महीने तक ट्रासफार्मर वापस नही आते है। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस समस्या का कोई इलाज कर रहे है जिससे कि ये ट्रासफार्मर जले ही नही। यदि पावर कैपेसिटी बढा दी जाए और सब स्टे ।नो की ताकत बढा दी जाए तो इस समस्या का हल हो सकता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन ने जो बात रखी है यह ठीक है कि एक वहां पर ट्रासफार्मरज की रिपेयर वर्कसोप थी जो कि 30.6.1999 को बंद कर दी गई थी। लेकिन बात यह है कि जो इस प्रकार की वर्क ।ाप की बात की है। वह वर्क ।ाप पहले थी। अब सरका जो भी रिपेयर का काम दे रही है वह प्राईवेट फार्मस को दे रही है। इसका कारण यह था कि पहले नानौल मे वर्क ।ाप थी उसमे जो ट्रासफार्मरज रिपेयर होते थे वह अच्छी तरह से रिपेयर नही होते थे। वे इधर उधर से पार्टस लेकर असैम्बल कर दिया करते और उन ट्रासफार्मर की पररफोरमेंस अच्छी नही थी और उन पर खर्चा ज्यादा होता था

इसलिये सरकार ने यह काम प्राईवेट फर्मज को देने का फैसला किया। अब जो भी ट्रांसफार्मरज पर बोर्ड का काफी खर्च होता है क्योंकि पूरा इन्फ्रास्ट्रैचर बनाना पडता है। इसलिए इस काम को कान्ट्रेक्ट पर देनपे का सरकार ने फैसला किया है। नानौल से हमे कोई भेदभाव नही है इसलिए माननीय सदस्य को इस बारे मे कोई ऐसी बात नही सोचनी चाहिए। हम भी उसी इलाके के है इसलिए माननीय सदस्य की इस प्रकार की कन्सर्न होने की बात नही है।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान: स्पीकर साहब, जो ट्रांसफार्मरज की रिपेयर की बात की जा रही है पिछली सरकार के समय मै कई दिनों तक यह देखता रहा है कि मेरे हल्के दादरी मे जो भी ट्रांसफार्मर लगता बाद मे था खराब यह पहले हो जाता थ। उसको दोबारा से यह कहकर लगाया जाता था कि इसको ठीक कर दिया है लेकिन उसको ठीक नही किया जाता था वैसे का वैसे ही दोबारा से लगा दिया जाता था बाद मे पता चलता था कि उस ट्रांसफार्मर को रिपेयर ही नही किया गया। मै सरकार से निवेदन करना चाहता हू कि इस प्रकार कि रिपेयर के लिए वारन्टी देने का प्रावधान सरकार को करना चाहिए क्योंकि यह पब्लिक का पैसा है जो जाया होता जा रहा है। दूसरे, मेरे हल्के मे एक समस्या यह भी है कि जो इलैक्ट्रोनिक्स मीटर लगाए गए है उनमे और ज्यादा गडबड चल रही है। बिजली मकहमे वाले कन्जूमरर्स को बता देते है कि आपका मीटर खराब हो गया है नया खरीदना पडेगा इस प्रकार कंज्यमरर्स को हर बार नया मीटर

खरीदना पड रहा है जो एक आम आदमी की हैसियत से बाहर है उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आज जो ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं उसका मुख्य कारण लोड फैक्टर का है आप जानते हैं कि किसान जब ट्यूबवैल के लिए कनेक्टान लेता है तो उसमें लोड फैक्टर 5 हार्स पावर का दिखता है और उसके बाद 10 हार्स पावर की मोटर लगा लेता है इसलिए उस ट्रांसफार्मर पर ओवर लोड हो जाता है और वह ट्रांसफार्मर जल जाता है अगर वह पहले ही अपना लोड फैक्टर सही दर्शाये तो हम जहां 63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगाते हैं वहां 100 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं और वह ट्रांसफार्मर फिर इतनी जल्दी जल भी नहीं सकेगा। अब जो नये ट्रांसफार्मरस खरीद जा रहे हैं उनमें ऐसा सिस्टम लगा रहे हैं कि अगर ओवरलोडिंग होगी तो वह ट्रांसफार्मरज ट्रिप कर जाएंगे और जलेगे नहीं।

राव दान सिंह: अध्यक्ष महादेय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पहले ट्रांसफार्मर रिपेयर की वर्क ग्राप महेन्द्रगढ में स्थित थी लेकिन पिछली सरकार ने पता नहीं किन कारणों से उसे नारनौल में ट्रांसफर्ट कर दिया गया है। महेन्द्रगढ के गांव के किसानों को ट्रांसफार्मर की अलोकेशन करके एक कागज थमा दिया जाता है और उनको कह दिया जाता है कि आपको ट्रांसफार्मरज नारनौल से मिलेगा इस प्रकार किसानों को ट्रांसफार्मर नारनौल से उठाना पड़ता है और उसके लाने का खर्चा भी खुद

वहन करना पडता है और वहां पर 2,3 और 4 दिनो तक बैठे रहना पडता है जिससे किसानो का पैसा ज्यादा खर्च होता है और उनको काम मे हानि होती है क्योंकि फसल का सीजन होता है क्या मंत्री जो उस वर्क गाप को दोबारा से महेन्द्रगढ मे स्थापित करने का काम करेगे, क्योंकि वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर और जगह उपलब्ध है इसलिए क्या सरकार उस वर्क गाप को दुबारा महेन्द्रगढ मे स्थापित करने का काम करेगी?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, नानौल मे मकहमे का एस0ई0 बैठता है और उनको देख रेख मे ही यह सब काम होता है जब एक्सियन उसको डिमाण्ड भेजता है तो वह ट्रासफार्मर को रिपेयर करवाता है और एस0ई0 ही ट्रासफार्मरज की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है और किसान के खेत मे सरकारी खर्चे से ही ट्रासफार्मर लगया जाता है । इसमे किसानो का कोई पैसा नही लगता ।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान: अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम बहुत अच्छी है कि प्राइवेट इन्टरप्रिन्योर्ज को यह सरकार बढावा दे रही है लेकिन सरकार की जितनी भी ऐस्टिब्लि मेंट है उनमे काफी गडगड चल रही है । मै अपने इलको के बारे मे बताना चाहूंग । पैड्डी का बडा भारी सीजन था और प्राइवेट लोगो ने भी गांव के लोग से रि वत के तौर पर तारो की अदला बदली करने के लिए कि तेरा पहले कर देगे उसका बाद मे कर देगे किसानो से पैसे लिए । मै सरकार के नोटिस मे यह बात इसलिए ला रहा हू

कि सरकार उस पर तरमीम कर सकती है, मेरे हल्के मे भी इस प्रकार की गडगड चल रही है। मैं सरकार को कहना चाहता हू कि सरका इंटरप्रिन्योर्ज का जाल ज्यादा बढाए, हर सब डिविजन लैवल पर 2-2,3-3, ठेकेदारो का प्रावधान करे। ज्यादातर ये ठेकेदार यू0पी0 से आते है, उनमे रि वत के काम की मेहरबानी करके सख्ती करे।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो बात रखी है मैं उनको बताना चाहूंगा कि कोटा की भी हमारी फर्म है, आगरा की भी फर्म है, अलवर की फर्म है और अन्य जगहो की भी फर्मज है, इन्होने जो रि वत की बात रखी है इसको मानता हू और हम इसमे इम्प्रूवमैट करने की कोशिश करेगे।

श्री एस0एस0 सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी पूरे स्टेट मे ट्रासफार्मर्ज के जलने और डैमेज की बहुत शिकायत है, क्या यह सच है कि पिछली सरकार ने सब स्टैंडर्ड मैटीरियल वाले ट्रासफार्मर्ज बहुत ज्यादा मात्रा मे खरीदे जिस वजह से इतना डैमेज है और अगर यह सच है तो उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो बात रखी है और अगर इस तरह की कोई शिकायत

आती है तो हम उकसो एग्जामिन करवा लेगे और कार्यवाही करेगे, वैसे तो आज तक हमारे पास ऐसी कोई रिक्वायत नहीं आई है।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, यहा पर ट्रासफार्मर्ज की रिपेयर के लिए वर्क ग्राप पर चर्चा चल रही है। मैं वर्क ग्राप के बारे में नहीं कहूंगी कि कलायत या उसके आस पास कोई वर्क ग्राप हो लेकिन यह अपील जरूर करना चाहूंगी कि बहुत से ट्रासफार्मर्ज जो जल जाते हैं और रिपेयर के लिए जाते हैं तो उसका टाईम फिक्स किया जाए कि यह ट्रासफार्मर्ज इतने समय में रिपेयर होकर आ जाएगा। मैं यह भी अपील करना चाहती हू कि ट्रासफार्मर्ज जिस समय रिपेयर करने के लिए उठाकर ले जाया जाता है उस पीरियड के बीच कोई पुराना ट्रासफार्मर्ज रिपेयर किया हुआ वहां जरूर लगा दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखा जाए कि जितनी कैपेसिटी के ट्रासफार्मर्ज की रिक्वायरमेंट है उतनी ही कैपेसिटी के ट्रासफार्मर्ज रखे जाए। मान लो, अगर ज्यादा कैपेसिटी के ट्रासफार्मर्ज लगाए जाए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां ट्रासफार्मर्ज जल जाते हैं और ट्रासफार्मर्ज रिपेयर होकर आते ही नहीं हैं और वहां क्षेत्र केवल दिनही नहीं, हफ्तों नहीं बल्कि महीनों बिना ट्रासफार्मर्ज के रह जाते हैं इसलिए इस समस्या की ओर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, लोड फैक्टर की बात माननीय सदस्या ने रखी है मैं पहले ही बात चुका हू कि जो ट्रासफार्मर्ज लगाए जाते हैं, बाकायदा वहां का लोड देखकर ही

लगाए जाते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि लोग ट्यूबवैल पर मीटर लगाते तो 10 होर्स पावर की है और भागे करते हैं 5 होर्स पावर ही। इस प्रकार ट्रांसफार्मर ओवर लोडिड हो जाता है और जल जाता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल ट्रांसपोर्टिंग और ट्रांसफार्मर की रिपेयर की बात है तो इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा ताकि किसानों की किसी प्रकार की समस्या न आए।

Setting of Industries in the State

139. Dr. Sita Ram: Will the Minister for Industries be please to state total number of industries have been set up and are likely to be set up in the state after implementing the new industrial Policy?

Industries Minister (Sh. Lachman Dass Arora): 508 Industrial Units have been set up upto November 2005 after the new industries Policy came into force. This policy aims at providing employment to ten lac persons and envisages investment of Rupees two lac crore in the next ten years.

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हू कि उन्होंने जिन 508 औद्योगिक इकाइयों का जिकर किया है, क्या उन्होंने अपने जिले सिरसा में भी कोई औद्योगिक इकाई लगाई है, इसके अलावा जो क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं चाहे फतेहबाद, महेन्द्रगढ़ है या नारनौल है क्या इन इलाकों में कोई नया उद्योग लगाया गया है। साथ ही साथ मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल् भी जानना चाहूंगा कि वे कौन कौन से उद्योग हैं जो लगाए गए हैं। मंत्री जी ने एक वेग आनसर

दिया है कि 508 उद्योग लगाए हैं लेकिन डिटेल्स नहीं बताई हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी पूरी डिटेल्स बताएं।

श्री लक्ष्मण दास अरोडा: अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने जो पूछा है मैंने उसका जवाब दिया है, इन्होंने इतना ही पूछा है कि कितने उद्योग लगाए हैं, मैंने इनके प्रश्नों का ही जवाब दिया है, विस्तार में इन्होंने कोई बात नहीं की। (विध्वन) अध्यक्ष महोदय, इनका क्वेश्चन देखिए। सीता राम जी, आपने जो सवाल दिया है वह मैं यहां पढ़ देता हूँ।

“Will the Minister for Industries be please to state total number of industries have been set up and are likely to be set up in the state after implementing the new industrial Policey?”

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सवाल पूछा है मैंने उसका जवाब दे दिया है जो सप्लीमेंटरी से पूछ रहे हैं वह इसमें बनता ही नहीं है।

वित्त मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, सिरसा की इण्डस्ट्रीज के बारे में तो इनको जवाब दे ही दिया है। हरियाणामें जो इण्डस्ट्रीज लगी हुई थी इन लोगों की सरकार ने तो सारे हरियाणा की इण्डस्ट्रीज को ही खत्म कर दिया है।

Construction of Dau-Marja Road

175. Shri Kharaiti Lal Sharma: Will the Chief Minister be please to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the left out part of the link road between National High Way No. 73 to village Due Majra, Tehsil Shahabad Markands, District Kurukshetra; and

(b) if so, the time by which the said piece of the road is likely to be constructed?

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjwala):

(a) Yes Sir,

(b) it is likely to be constructed by June 2006.

श्री खरैती लाल भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा। परन्तु मैं उनको एक बात भी बताना चाहूंगा कि नै नल हाई वे न0 73 की थोड़ी सी दूरी पर सडक का यह छोटा सा टुकडा है जिसे बनाने मे छः महीने का समय लगेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सडक के इस टुकडे को बनाने मे थोडा सा एमाउंट ही लगेगा। स्टेट हाई वे पर निवेदन करना चाहूंगा कि सडक के इस टुकडे को बनाने मे थोडा सा एमाउंट ही लगेगा। स्टेट हाई वे पर रेलवे ब्रिज बनता है और उस सडक का सारा ट्रैफिक इस तरफ डाईवर्ट कर दिया गया है इस वक्त वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है जिस कारण सडक टूटी हुई है। अगर छः महीने तक तो यह सडक और भी ज्यादा टूट जाएगी और उसमे गड्ढे भी पड जाएंगे

और उसमें पैसा ज्यादा लगेगा और टाईम भी ज्यादा लगेगा अगर उकसो इस वक्त बना दिया जाए तो वह थोड़े से समय में थोड़े पैसे से तैयार हो जाएगी। क्या माननीय मंत्री महोदय, इस बारे में विचार करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, 7 दिसम्बर, 2005 को इस सड़क के लिए तीन लाख चार हजार रुपये सैक ठान किए गए हैं। हम छः महीने के बजाए इस टुकड़े को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए प्रयास करेंगे और विभाग को इस बारे में निर्देश दे देंगे।

Opening of Rakshi Rivulet

138. Sh. Ramesh Gupta: Will the Minister for Irrigation be please to state-

(a) whether there is proposal consideration of the Government to desilt/open Rakshi rivuler in the Ladwa town of distict Kurukshetra; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Rivulet is likely o be disited/opened?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav):

(a) No, Sir

(b) Not applicable in view of answer to (a) above.

श्री रमे ठ कुमार: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र लाडवा में वाटर

लैवल बहुत नीचे जा रहा है। सरस्वती, चिंतग और राक्षी हमारे यहां पर 30-40 किलोमीटर के एरिया में निकलती रही है लेकिन किसी कारणवश अब ये बंद हो गई है। रैवेन्यू रिकार्ड में उनके होने का प्रमाण मौजूदा है और उनको अब खोला जा सकता है। दादूपूर नलवी निकालने की परियोजना पर सरकार विचार कर रही है और डिस्ट्रिब्यूटरी बना कर उसको राक्षी में डाला जाएगा तो हमारे एरिया का वाटल लैवल इससे कुछ ऊपर आ जाएगा। हमारा यह सारा एरिया पैडी ग्राइंग एरिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कुरुक्षेत्र गए थे तो यह मामला उनके नोटिस में भी लाया गया था इससे किसानों को बड़ा भारी लाभ मिलेगा और दूसरी बात यह है कि इससे भाहर के ड्रेनेज सिस्टम को भी फायदा हो सकता है। इसमें सरकार को ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, लाडवा के पास कुछ खुदाई भी नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि जहां सरकार साउथ हरियाणा में पानी की तरफ इस प्रकार से ध्यान दे रही है क्या हमारे इलाके की ओर भी उसी प्रकार से ध्यान देने की कृपा करेगी?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें रखी हैं मैं उसके बारे में इनके नोटिस में लाना चाहूंगा कि चिंतग और राक्षी नाम के बरसाती नाले हैं जिनके कारण लाडवा के एरिया में बड़ी भारी बाढ़ आ जाती थी। करीब 20 साल पहले इसके लिए आर0डी0 138 में जाकर नाले को

डाईवर्ट करके डबल्यू0जे0सी0 मे मिला दिया था। जहां तक इन नालो के पानी से सिंचाई की बात का सम्बन्ध है, सिंचाई के तौर पर इकना इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। जिस एरिया मे राक्षी नाला निकलता है अगर उसको डाईवर्ट करके निकालते है तो लाडवा का सारा गन्दा पानी इस नाले मे गिरेगा। डबल्यू0जे0सी0 का जो वाटर है वह उसमे सिरसा मे जाकर मिलता है यदि उसको यूज करना है तो उस पानी को ट्रीट करके उसमे मिलाया जा सकता है और यह काम पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट का है इस पानी को ट्रीट करके इसमे डाल दिया जाए, इसके बारे मे विचार किया जा सकता है। दूसरी बात ये जो पानी की रिचार्जिंग की बात कर रहे है इसके लिए दादुपूर नलवी स्कीम चल रही है उसे हम रिचार्जिंग की बात करेगे लेकिन इससे कोई रिचार्जिंग की बात करेगे लेकिन इससे कोई रिचार्जिंग की बात नहीं है।

प्रो० छतर पाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा डिपार्ल्टमेंट के बारे मे सवाल है। मै यह पूछना चाहता हू कि पूरे प्रदेश मे कैनलज की डिपार्ल्टमेंट हो चुकी है अगर नहीं हुई है तो कब तक हो जाएगी। स्पीकर साहब, कई कैनलज की चैनलज की बीच मे से तो सफाई हो चुकी है लेकिन क्या उनके बैंक के ऊपर की सफाई करने का भी प्रपोजल है। इसके अलावा कैनलज से जो पानी की थैपट होती है उसको भी रोकने का काम सरकार द्वारा करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: यह प्रान्तीय स्पेसिफिक नाला साक्षी के बारे में है। पूरे प्रदेश की बात नहीं है मिनिस्टर के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि यह बरबली पूरे प्रदेश के बारे में जवाब दे दे।

प्रो० छतर पाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि चैनलज के अन्दर की तो डिसिल्टिंग करवा दी गई है। मैं मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या उनके बैंकस के ऊपर की भी सफाई करवाने की कोई प्रपोजल है? इस बारे में जवाब दे दे।

कैप्टन अजय सिंह यादव: यह जो डिसिल्टिंग की बात कर रहे हैं। इस बारे में आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि टोटल कैनलज 955 है। 1.4.2005 से 30.11.2005 तक 765 कैनलज पर डिसिल्टिंग का काम करवाया है। यह नहीं है कि यह काम पूरा हो गया है, यह काम अभी अन्डर प्रोग्रेस है। जहां तक इन्होंने पानी की चोरी की बात कही है तो इस बारे में देख लेंगे। सर, खासतौर पर महेन्द्रगढ़, नरवाना और हिसार के एरिए के हैडज पर लोग चोरी करते हैं। इस बारे में हम कोर्टों में जा रहे हैं और हरियाणा आर्म्ड पुलिस की सहायता से पैट्रोलिंग करके चोरी की रोकथम की कोर्टों में जा रहे हैं।

श्री रमेश गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बाढ़ का जिकर किया है तो मैं सदन में आपको बताना चाहूंगा कि 30-40 साल पहले बाढ़ आई थी। यह जो दादरी और नलवी कैनल हमारे

एरिए से नहीं गुजरती है तो ये यहां पर किसानों को सिंचाई के लिए पानी कैसे देगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य और सदन के सभी सदस्यों को यह कहना चाहूंगा कि किसानों से सम्बन्धित कोई बात आती है तो हम उसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध है।

Setting of 33 KV Sub Station at Mundhri and Songri Villages

156. Shri Tejendra Pal Singh Mann: Will the Minister for Irrigation be please to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 33 KV Sub Station in Mundhri and Songri village of Kaithal District; and

(b) if so, what steps will be taken by the Government to improve the voltage problem in the said area?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav):

(a) No, Sir

(b) (i) **Steps to improve voltage problem in village Mundhri:**

To improve voltage in Mundhri Village earlier 11 KV feeder has already been trifurcated. The voltage in village Mudhri is now satisfactory.

(ii) **Steps to improve voltage problem in village Songri:**

A proposal is under consideration for reducing the length of the 11 KV feeder to village Songri; which will improve the voltage. This work is likely to be completed by 31-03-06.

इसके साथ साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जवाब सेटिसफैक्टरी है। हम जो रिपोर्ट मिली है इस पर काम करने की जरूरत है। अरग आप कहगे तो हम इसको एग्जामिन करवा लेगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि संस्कार जो रिटन रिप्लाइ में नहीं है।

इसके साथ ही सदन को बताना चाहूंगा कि प्रान के उत्तर के बी भाग पार्ट दो में है:—

(ii) Steps to improve voltage problem in village Songri:

A proposal is under consideration for reducing the length of the 11 KV feeder to village Songri; which will improve the voltage. This work is likely to be completed by 31-03-06.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहूंगा कि मुन्धाडी गांव कौथल और पुंडरी के बीच में है और यहां पर हमने आपके प्लान के अनुसार पंचायत के रैजोल्यूशन से बिजली बोर्ड की जमीन दे रखी है। इस तरह से काफी कारगुजारी इस बारे में हो

रखी है। यह केवल मुन्धडी गांव का सवाल नहीं है। वहां पर सडक से उधर 12-13 गांवों का कलस्टर है। अगर आप वहां पर सब स्टे इन 33 के0वी0 का बना देंगे तो इससे आपका बिजली का सिस्टम भी बेहतर होगा। वहां पर जो कटवाड, धौंस, नैना, खनौदा आदि गांव हैं इन गांवों को बिजली देने का सिस्टम बहुत ही पुअर है। हमारी एक प्रॉब्लम है और वह यह है कि वहां जो इलाका मेरी कस्टीच्यूएंसी से लेकिन कलायत या उससे आगे तक का है उसमें दस साल पहले फलड आया था उससे पहले तो यह इलाका बिल्कुल बरानी इलाका था या फिर थोड़ा बहुत कैनल इरीगटेड इलाका था वहां पर बहुत ज्यादा डिमांड बिजली की है। हमने जखौली गांव में सब स्टे इन बनवाया था लेकिन उससे भी अब काम नहीं चल रहा है। सोंगर गांव में भी बिजली की इम्प्रूवमेंट के लिए 33 के0वी0 का सब स्टे इन बनना बहुत आवयक है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में पंचायतें भी कोओपरेट कर रही हैं और हम भी कोओपरेट कर रहे हैं। वहां पर बहुत ज्यादा ट्यूबवैल्ज लग रहे हैं। जनता जनार्दन ने गरीब लोगों ने बीस तीन लाख हजार रुपये, लाख लाख रुपये दे रखे हैं इसलिये मैं मंत्री जी से यह आवासन चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके इस प्रोजेक्ट को दिखवा लें और इनको बनवाने की कृपा करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि जहां तक मुन्धडी गांव की बात है हमने वहां के 11 के0वी0 सब स्टे इन को ट्राईफिकर्ट कर दिया था। इससे

मुन्धाडी, धौंस, और कटवाड आदि गांव को बिजली सप्लाई की जा रही है। लेकिन इनकी बात को देखते हुए हम इसका सर्वे करवाएंगे और अगर जरूरत पडी तो इस सब स्टे इन को 33 के0वी0 सब स्टे इन बना देगे लेकिन इसके लिए जमीन पंचायत को ही देनी पडेगी। जहां तक सोंगरी गांव के सब स्टे इन की बात है। यहां पर भी हमने काम कर दिया है। हम इसको तारागढ से कनैक्ट करेगे, इसके बाद इसका सात किलोमीटर का डिस्टैन्ट कम हो जाएगा। इसके बाद सोंगरी गांव की वोल्टेज मे काफी फर्क पडेगा। यह काम हम 31.3.2006 तक पूरा कर देगे।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान: अध्यक्ष महोदय, सोंगरी गांव कैथल जिले का और मेरे हल्के का भी आखरी गाव है। आपकी स्कीम के तहत वहां पर बीस तीस ट्यूबवैल्ज लगे है इसलिए जब तक इनके बीच मे आप और कोई सब स्टे इन नही बनाएगे तब तक एग्जिस्टिंग फीडर्ज से भी उनकी पावर रिक्वायरमैट पूरी नही होगी। हम इसके लिए सारी जमीन वगैरा भी देने को तैयार है तो क्या मंत्री जी इसको बनवाने के बारे मे विचार करेगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैने बताया है कि सोंगरी गांव को हम जखौली से फीड कर रहे है। हमने आलरेडी वहां पर काम कर दिया है फिर भी अगर यहां पर फर्क नही पडेगा तो हम इसको ऐग्जामिन करवा लेगे।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया: अध्यक्ष महोदय, आज से दस पन्द्रह साल पहले जो 33 के0वी0 सब स्टे ान हमने बनवाए थे उनमे अब तक कोई भी तरमीम नहीं हुई है उनको बढ़ाया नहीं गया है जिसके कारण लोग दुखी है भाडावास सब स्टे ान के बारे मे मै बताना चाहूगी कि वहां पर अब काफी कनैव ान बढ गये है जिसके कारण लोग पूरी बिजली ने मिलने के कारण तडप रहे है। क्या मंत्री जी उस सब स्टे ान को अपग्रेड करने के बारे मे विचार करेगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यह ओन गोईग प्रौसेस है जहां लोड फैक्टर बढ जाता है वहां पर हम सब स्टे ान को अपग्रेड कर देते है। इन्होने भाडावास के सब स्टे ान को अपग्रेड करने के बारे मे जिकर किया तो हम इसको भी एग्जामिन करवा लेगे।

Mr. Speaker: Hon'ble Members. Now question hour is over.

नियमो 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तरांकित
प्र नो के लिखित उत्तर

Plantation of Trees

135. Shri Radhey Shyam: Will the Minister forest be please to state-

(a) the total number of trees planted in district Mahendergarh, Rewari, Gurgaon and Faridabad during the year 2002-2003, 2003-2004 and 2004-2005,

(b) whether and kind of irregularities/embezzlement of funds in the palantation of the aforesaid trees have come into the notice of the Government. If so, the details thereof togehterwith the action, if any, taken or proposed to be taken against the delinquent officers/officials, and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Governement to provide trees/plants to a person for palantation in South Haryana?

आबकारी एवम कराधान मंत्री (श्री विनोद कुमार भार्मा):
मांगी गई सूचना सदन के पटल पर रखी गयी है।

सूचना

(क) वर्ष 2002-2003, 2003-2004 and 2004-2005, में वन विभाग द्वारा महेन्द्रगढ, रेवाडी, गुडगांव और फरीदाबाद जिलो मे कुल लगाए गए पौधे निम्न प्रकार है:

गुडगांव और फरीदाबाद जिलो मे कुल लगाए गए पौधे निम्न प्रकार है:

वर्ष	महेन्द्रगढ	रेवाडी	गुडगांव	फरीदाबाद
2002-03	81279	564581	2442239	498763

2003-04	1313013	581835	1265719	660454
2004-05	1139486	619506	422834	624254

वन विभाग द्वारा उपरोक्त लगाये गये पौधो के अतिरिक्त व्यक्तियों किसानो संस्थाओ एवम अन्य संस्थाओ को उन द्वारा पौधारोपण के लिए निम्न प्रकार से पौधे नि मुल्क दिये गए:

वर्ष	महेन्द्रगढ	रेवाडी	गुडगांव	फरीदाबाद
2002-03	423968	572062	1308471	1068390
2003-04	469246	577419	986527	1063752
2004-05	489685	674003	1304224	1117604

(ख) विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियो द्वारा पौधारोपण की नियमित जांच के दौरान कुछ कमियों की रिपोर्ट की गयी। दोशी कर्मचारियो के विरुद्ध अमल मे लाई जा रही है। पाई गयी कमियों एवम दोशी कर्मचारियों के खिलाफ भगुरु की गई कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है।

जिला महेन्द्रगढ

क्र० सं०	पौधारोपण क्षेत्र का नाम	पौधारोपण का वर्ष	प्राप्त लक्ष्य (हैक्टेयर)	रिपोर्ट की गई कमी	केस मे की गई कार्यवाही
----------	-------------------------	------------------	---------------------------	-------------------	------------------------

			मे)	(हैक्टेयर मे)	
1.	जेरपुर पंचायत भूमि	2003-04	10 है०	0.3 है०	वन राजिक अधिकारी व वन दारोगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
2.	बछोदा पंचायत भूमि	2003-04	7.5 है०	0.05 है०	वन राजिक अधिकारी व अन्य कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
3.	बछौद कुंजपरा रोड (किलोमीटर 0.4 दांये व बाये।)	2002-03	2.5 है०	0.8 है०	कर्मचारियो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

4.	मोहनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री (किलोमीटर 0.4 दांये व बाये ।)	2004-05	2 है०	0.2 है०	वन राजिक अधिकारी व अन्य कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।
5.	अटेली कनीना रोड (किलोमीटर 0.4 दांये व बाये ।)	2003-04	12 है०	4 है०	सभी संबधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

जिला महेन्द्रगढ

क्र० सं०	पौधोरपण क्षेत्र का नाम	पौधारपण का वर्ष	प्राप्त लक्ष्य (हैक्टेयर मे)	रिपोर्ट की गई कमी (हैक्टेयर मे)	केस मे की गई कार्यवाही
1.	फरीदाबाद तिगांवा	2003-04	5 है०	0.2 है०	वन राजिक अधिकारी व

	खेडी रोडी (किलोमीटर 3-10 दांये व बाये ।)				वन दारोगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।
2.	बल्लभगढ सिमरथला रोड (किलोमीटर 5-10 दांये व बाये ।)	2003-04	7 है०	2.8 है०	वन राजिक अधिकारी व वन दारोगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।
3.	डी०एस० रोड (किलोमीटर 31-38 दांये व बाये ।)	2003-04	18 है०	8.7 है०	उपरोक्त के अनुसार ही कारण बताओ नोटिस जारी किये गये ।
4.	उजीना डाईवर्जन ड्रेन (किलोमीटर 6-7 दांये व बाये ।)	2004-05	20 है०	5.1 है०	वन राजिक अधिकारी व वन रक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया

5.	पिगार ड्रैन	2004-05	6 है०	1.2 है०	वन राजिक अधिकारी व वन रक्षक व माली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
6.	पृथला असवावती रोड (किलोमीटर 0-4 दांये व बाये ।)	2004-05	2 है०	0.4 है०	सभी संबधित स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।
7.	बाई बाटा ड्रैन आर०डी० 0-20 दायें व बायें	2004-05	4 है०	3 है०	वन राजिक अधिकारी व वन दरोगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
8.	सुल्तानपुर सुरक्षित वन	2004-05	20 है०	2.3 है०	वन राजिक अधिकारी व

					वन दरोगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
9.	फरीदाबाद तिगांव रोड (4-10 दाये व बाये)	2004-05	5 है०	0.45 है०	सभी संबधित स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

जिला गुडगांव

क्र० सं०	पौधारोपण क्षेत्र का नाम	पौधारोपण का वर्ष	प्राप्त लक्ष्य (हैक्टेयर मे)	रिपोर्ट की गई कमी (हैक्टेयर मे)	केस मे की गई कार्यवाही
1.	रावली पंचायत भूमि खेडी रोड (किलोमीटर)	2002-03	15 है०	14 है०	वन राजिक अधिकारी व वन दारोगा को कारण बताओ नोटिस जारी

					किया गया।
--	--	--	--	--	-----------

जिला रिवाडी

वर्ष 2002 में मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वनिकी परियोजना ने रेवाडी जिले में नर्सरी उगाने में कुछ अनियमितताएँ अंकित कीं। इन बातों को गयी अनियमितताओं के आधार पर श्री मनोहर लाल, वन राजिक व श्री भूप सिंह, मण्डलीय लेखाकार को आरोप पत्र जारी किये गये। श्री मनोहर लाल, वन राजिक अधिकारी ने अपने उत्तर में आरोपों को खण्डन किया। श्री भूप सिंह, लेखाकार ने नर्सरी पर हुए व्यय और उगाये गये पौधों की संख्या का वाउचर दर वाउचर विवरण दिया। दण्ड अधिकारी ने इस केस में लेखाकार को व्यय के गलत बुकिंग और लापरवाही के अतिरिक्त किसी बड़ी अनियमितता के लिए जिम्मेवार नहीं समझा।

आरोपित कर्मचारियों के उत्तरों व लेखाकार के खिलाफ आरोपों की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों ही केस फाईल कर दिये गये।

(ग) वन विभाग द्वारा सम्पूर्ण राज्य में आम जनता, किसानों, सरकारी संस्थानों तथा अन्य संस्थाओं को वृक्षारोपण के लिए मुफ्त पौधों रोपण का एक कार्यक्रम पहले ही चलाया जा रहा है।

Water of W.J.C

176. Shri Ram Kumar Gautam: Will the Minister for irrigation be please to state-

(a) whether it is fact that the water W.J.C is being supplied for irrigation prupose to village Masudapur in Narnaund constituency and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to stop the supply of water W.J.C and providing the same through Bakhra Canal from Panihari Village Masudpur?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav):

(a) Yes, Sir

(b) Yes, Sir

Development of Sectors in Safidon Constituency

176. Shri Bachan Singh Arya: Will the Chief Minister be please to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop the sectors of HUDA in Saffidon constituency; if so, the time by which the work for the development of the Sectors is likely to be started?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): श्रीमान जी, नहीं।

Setting up of 33 KV Sub Station

219. Shri Somvir Singh: Will the Chief Minister be please to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to seu up 33 KV Sub Station

at Singhani, Baralu, Jhuppa Kalan (Siwani) in Loharu Constituency; and

(b) if so, the time by which the above said proposal is likely to be meteralized?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा):

(क) सिंधानी हां श्रीमान।

बरालू नही, श्रीमान

झूप्पाकंला नही, श्रीमान। मीठी मे अस्थाई उपकेन्द्र को अब ग्राम पचांयत मीठी से 4 एकड भूमि के प्राप्त होने पर स्थाई उपकेन्द्र मे परिवर्तित किया जाना है।

(ख) सिंधानी यह योजना तकनीकी जांच पडताल के अन्तर्गत है। आमतौर पर टैन्डर के नियतत के प चात् 33 के.वी. उप केन्द्र के निर्माण मे 18 महीने का समय लगता है।

बरालू उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रान नही उठता।

झूप्पाकंला मीठी उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 6 महीने के अन्दर की जानी सम्भावित है।

Abhiana for Canal Water

215 Smt. Geeta Bhukal: Will the Minister for Irrigation be please to state-

(a) whether it is fact that the water does not reach upto the tail of Bata Minor, Chasuhala Minor, Sirsa, Parallel of the Kalayat Constituency for the last 3-4 years even then adjanya for canal water is being realized; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to waive off such kind of abiyana?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) नहीं श्रीमान जी। आबियान सिंचित क्षेत्र के मापने उपरोक्त वसूला जाता है।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार प्रान ही पैदा नहीं होता।

Opening of Government College for Girls at Bapoli

273. Shir Bharat Singh Chhokar: Will the Minister for Education be please to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Government College for Girls in village Bapoli; if so, the time by which it is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री श्री फूलचंद मुलाना: नहीं श्रीमान जी।

Sewerage Water of Haluwas & Prahladgarh Villages

237. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj: Will the Minister for Health be please to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that the sewerage water is not only destroying the cultivable land of about 450 acres of Haluwas and Prahladgarh village of district Bhiwani but also it has become health hazardous for the people of the said villages;

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to save the aforesaid land from the sewerage water; and

(c) whether it is also a fact that the farmers have not been given compensation of the aforesaid land which was acquired for the construction of Katcha Nala?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):

(क) श्रीमान जी, केवल बरसता के मौसम में ही कुछ सीवरेज का पानी बरसाती पानी से मिलकर इन गांवों की जमीन पर फैलता है। वैसे यह पानी किसानों द्वारा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) इस पानी को रोक कर हालूवास मार्इनर तथा ढाणा नरसाण मार्इनर के माध्यम से सिंचाई के उपयोग के लिए सिंचाई विभाग में प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) किसानों की कोई जमीन कच्चा नाला बनाने के लिए अधिग्रहीत नहीं की गई है इसलिए मुआवजा देने की कोई जरूरत नहीं थी।

Generation of Power

232. Shri Shadi Lal Batra: Will the Chief Minister be please to state-

(a) the question of electricity in Mega Watt was being generated by the State as well as the demand at the time of inception of the Haryana State i.e 1st November 1966.

(b) the efforts/steps intiated and completed by the previous Governments during their tenure regarding generation of power in the State from 1st November 1966 to March, 2005; and

(c) details of the plans of present Government to make up the deficiency between the demand and supply of the electricity in the State?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा):

(क) हरियाणा राज्य की स्थापना अर्थात 1 नवम्बर, 1966 के समय हरियाणा राज्य द्वारा 29.425 मैगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा था तथा लगभग 313.50 मैगावाट बिजली हरियाणा राज्य के हिस्से के तौर पर बीबीएमबी से ली जा रही थी जिसके अनुसार हरियाणा राज्य के पास 343 मैगावाट की कुल उत्पादन क्षमता उपलब्ध थी तथा उस समय लगभग 134 मैगवाट बिजली की मांग थी।

(ख) पिछली सरकारो द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान राज्य मे 1 नवम्बर, 1966 से मार्च, 2005 तक राज्य मे बिजली उत्पादन के लिए उठाए गए तथा पूरे किए गए प्रयत्न कदमो के

परिणामस्वरूप राज्य की उपलब्धता उत्पादन क्षमता लगभग 343 मैगावाट से बढ़कर 4033 मैगावाट हो गई है। कुल उपलब्ध उत्पादन क्षमता में से मार्च, 2005 तक हरियाणा पावर जनरे इन कारपोरे इन के हरियाणा स्थित उत्पादन केन्द्रों से 1587.4 मैगावाट की उत्पादन क्षमता थी।

(ग) वर्तमान सरकार राज्य में बिजली की मांग की पूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए यमुनानगर में 600 मैगावाट क्षमता का कोयला आधारित प्लांट लगा रही है तथा राज्य में सरकारी/निजी क्षेत्र में, लगभग 4000 मैगावाट क्षमता के गैस/कोयला आधारित प्लांट लगाने की योजना बना रही है। सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल जैसे राज्यों के साथ संयुक्त रूप से पन बिजली परियोजनाएँ स्थापित करने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

Opening of Purchase Centre at Dhandh

289. Shri Kulbir Singh: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a wheat purchase centre at Village Dhandh in district Fatehabad; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized?

उप मुख्यमंत्री (श्री चन्द्रमोहन): श्रीमान जी,

(क व ख) गांव ढाण्ड, जिला फतेहबाद सीजन, 2006 से खरीद केन्द्र खोलने का निर्णय लिया जा चुका है।

Irregularities in the Recruitment

253. Smt. Kiran Chaudhary: Will the Chief Minister be pleased to state whether there has been any irregularities committed in recruitment to the post of different categories of various department of Haryana Government on the recommendation of HSSC during the last regime of previous Government, if so, the details thereof togetherwith the action taken in this regard?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया बारे चल रही तीन जांचे प्रारंभिक आंकलन के आधार पर चौकसी विभाग द्वारा की जा रही है इनका सम्बन्ध प्लांट अटैडैट्स, मोटर व्हीकल मैकेनिक और उप वन रेंजर के पदों के चयन से है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उप निरीक्षक के पद के चयन से सम्बन्धित मामला केन्द्रीय अन्वेषक ब्यूरो को जांच के लिए भेजा हुआ है।

Delivery Huts

309- Kumari Sharda Rathore: Will the Minister for Health be pleased to state whether the district wise total number of delivery huts constructed by the Health Department in the State so far together with the number of more delivery huts are proposed to be constructed in near future?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी): ब्यान सदन के पटल पर रखा गया है।

ब्यान

राज्य मे खोले गए प्रसूति गृहो की संख्या 135 है। जिलेवार यह संख्या पंचकूला 7, अम्बाला 3, कुरुक्षेत्र 7, यमुनानगर 4, करनाल 10, कैथल 13, पानीपत 6, सोनीपत 8, जीन्द 4, रोहतक 8, झज्जर 4, भिवानी 20, रिवाडी 10, नारनौल 5, हिसार 8, सिरसा 1, फतेहबाद 1, फरीदाबाद 8, गुडगांव 2, तथा मेवात 6 है।

राज्य मे कुल 300 प्रसूति गृह खोले जाने है निकट भविश्य मे 165 और प्रसूति गृह खोलने का प्रस्ताव है जिलेवार ब्यौरा है: पंचकूला 3, अम्बाला 7, कुरुक्षेत्र 5, यमुनानगर 5, करनाल 5, पानीपत 10, सोनीपत 10, जीन्द 9, रोहतक 10, झज्जर 9, रिवाडी 10, नानौल 19, हिसार 8, सिरसा 16, फतेहबाद 11, फरीदाबाद 6 तथा गुडगांव 22।

अतारकितं प्रान एवम उतर

7. Shri Dharam Pal Singh Malik: Will the Chief Minister be pleased to be state-

(a) whether there is any proposl under consideration of the Governemnt to construct the roads from Lath to Guhana via Bhainswal Kalan and Kailana Khas (Gohana) to Khanapur Kalan: and

(b) if so, the time by which these roads are likely to be constructed?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा):

(क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) प्रान ही नहीं उठता।

Releasing of Grant for C.H.C. Juan

8. Shri Dharam Pal Singh Malik: Will the Minister for the Health be pleased to state whether any grant has been sanctioned for the construction of new Building for C.H.C Juan in district Sonapat, if so, the amount there of togetherwith time by which the grant is likely to be released and utilized?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी): जी, नहीं।

Un employed Person Registered with Employment Exchanges of the State

9. Dr. Sushil Indora: Will the Minister for Labour and Employment be pleased to state the number of un employed persons registered with employment exchanges in the state as on to day?

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): दिनांक 31.10.2005 को राज्य के रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 1055686 है।

**Opening of the Branch of Haryana State Co Operative
Society Bank**

11. Shri Naresh Yadav: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that the brach of Haryana State Cooperative Society Bank has been shifited from village Ratta Kalan (Ateli Constituency) to Deongra Ahir Village in Mohaindergarh Contituency?

(b) if so, whether the Governement will reconside the matter for reopening the brach of the aforesaid Bank again in the Village Ratta Kalan?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा):

(क) हरियाणा राज्य सहकारी भीर्श बैंक लि० की राता कंला मे कोई भाखा नही थी, यधपि वहां पर महेन्द्रगढ केन्द्रीय सहकारी बैंक की भाखा गांव साता कलां मे भी जो कि वर्ष 1999 मे दौरान महेन्द्रगढ विधानसभा क्षेत्र के गांव दोगडा अहीर मे स्थानांतरित की गई थी।

(ख) भाखा कार्यालय गांव राता कंला न तो संक्षम और न ही आसानी से पहुंचने लायक था, इसलिए महेन्द्रगढ केन्द्रीय सहकारी बैंक की भाखा गांव राता कलां मे पुन खोलने के मामले पर व्यावसायिक मापदण्ड को ध्यान मे रखते हुए पुन विचार नही किया जा सकता।

Opening of I.T.I for Girls In Ateli

12. Shri Naresh Yadav: Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an I.T.I for girls at Ateli in district Mahendragarh?

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द्र मुलाना): श्रीमान जी, नहीं।

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी): तथ्य यह है कि अर्थ चिकित्सा अमले पैरा मैडीकल स्टाफ की कमी है। नर्सिंग सिस्टर का एक स्टाफ नर्स के पांच तथा औशधाकारक का एक पद रिक्त है। भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। जिसमें दंत चिकित्सा भी शामिल है।

प्रजनन एवम बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत में प्रसूति कक्ष एवम आप्रेगन थियेटर का निर्माण किया जा रहा है। जिला नारनौल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अटेली का चयन ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के अनुसार उन्नयन के लिए किया गया है जिससे चिकित्सा एमव भाल्य आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी।

Desilting of Canal/Minors in the State

15. Shri Naresh Yadav: Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt the canals and minors in the State during the current financial year togetherwith the budget provided for the repair and desilting

of the said canal/minors for the current financial year alongwith the name of works on which the budget has been spent so far?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): जी हां, श्रीमान जी। नहरों/रजबाहों के अन्तिम छोर पानी पहुँचाने के लिए जहाँ आवश्यक व सम्भव हो उसकी गाद निकालने व आन्तरिक सफाई का कार्य उस नहर/रजबाहे के बंद होने की अवधि में किया जाता है। चालू वित्त वर्ष जो कि 2005-06 है, व दौरान नहरों व रजबाहों की मरम्मत करने व गाद निकालने तथा नलकूपों की मरम्मत के लिए 45.54 करोड़ ₹ के बजट का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष 2004-05 के दौरान 27.54 करोड़ ₹ के बजट का प्रावधान किया गया था। आज तक नहरों/रजबाहों अनैक चर -1 पर पूरी सूचना संलग्न है।

कुल 15.41 करोड़ ₹ के खर्च में से 8.07 करोड़ ₹ गाद निकालने के कार्य पर खर्च किए गए तथा भोश रखरखाव पर खर्च किए गए हैं।

महान् परदर्शिता एवम जान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपरमण्डल अधिकारी नागरिक के अधीन समितियों का गठन किया जा रहा है जो कि चैनलों की सफाई के कार्यों की देखभाल करेगी जिसमें कार्यकारी अभियन्ता सिंचाई तथा सम्बन्धित क्षेत्र में पांच गैर सरकारी सदस्य मनोनीत होंगे। इस विषय में जारी की गई हिदायतों की प्रति अनैक चर-2 पर संलग्न है।

Annexure -1

**Statement showing budget/Expenditure under head 2701
Plan/nonplan O&M**

(Rs. In lacs)

Sr. No	Particulars	Financial Year 2004-2005		Financial Year 2005-2006	
		Final Budget	Expenditure	Original Budget	Expenditure (up to 30-11-2005)
Non Plan					
1.	WJC Maintenance	465-00	77059	1903-91	393-38
2.	MRP Maintenance	239.00	305.60	650.09	239.26
3.	2701 Plan O&M	2050.00	1835.61	2000.00	908.50
	Total	2754.00	2911.35	4554.00	1541.14
	Say Rs. In	2754	2911	4554	1541.

	Crore				
--	-------	--	--	--	--

Annexure -11

No. 1593-1663 Coord

Dated 17-11-05

To

All Chif Engineers.

Irrigation Department, Haryana

Panchkula

Subject: Internal Clearance of Irrigation Channels.

It has been decided by Hon'ble Chief Minister that a Committee to be set up under each SDO (Civil) Comprising Xen/irrigation concerned and 5 non official members from the area as indicated below-

SDO	Chairman
XEN/Water Services Divn.	Members Sceretry
5 Non Official Members	
(i) Chariman Panchayat Samitit of Sub Divn. HQrs.	
EX officio member (non official)	
(ii) One Member Pachayat Samiti	
To be Co opted by SDO (Civil)	

(iii) Three Sarpanches of Sub Division
To be Co opted by SDO (Civil)

This Committee is be informed in advance about the details of the programme of clearance of irrigation channels and a certificate is to be recorded by the committee to the clearance of the channels has been done in a satisfactory.

Sd/

Chief Engineer/coopted,

Irrigation Department Haryana.

Panchakula.

CC

1. The Financial Commissioner and Principal Secretary to Govt. Haryana Irrigation Department, Chandigarh for kind information please.

2. All Deputy Commissioners. Haryana for information and necessary action SDO (Civil) may asked to form a committee as indicated above for carrying out internal clearance of channels and report of the committee to be sent the office of Engineer in Chief. Irrigation Department, Haryana Sinchai Bhawan, Panchkula.

3. All Subperinteding Engineers, Water Services Circles, Hayana for information and strict compliance.

Waving of Outstanding Electricity Bills

21. Dr. Sita Ram: Will the Minister for Irrigation be pleased to state the district wise details of the small scale industries of the rural areas which have taken the benefit of the outstanding electricity bill waiving scheme?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): यह छूट योजना लघु उद्योगों पर लागू नहीं है।

Charges of Bhakra Canal Water

22 . Dr. Sushil Indora: Will the Minister for Irrigation be pleased to state-

(a) the per acre rate of water being charged by the Government for supply of Bhakra Canal Water to farmers for irrigation purpose, together with the date these were received; and

(b) the details of the total amount of the aforesaid charges has been received/recovered by the Government till date?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) भाखड़ा नहर का पानी जो किसानों को सिंचाई के उद्देश्य से दिया जाता है का आबियाना सरकार द्वारा 27 जुलाई 2000 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार वसूला जाता है। आबियाना अधिसूचना होने की तिथि से वसूला जा रहा है। रबी 2003-04 की फसल का आबियाना वसूल किया जा चुका है।

(ख) भाखडा जल सेवाएं परिमण्डलो से वसूल की गई राशि का वितरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष	वसूल की गई राशि (करोड़ों रूपयों में)
2000-01	14.39
2001-02	13.16
2002-03	18.13
2003-04	18.17
2004-05	9.60 (केवल रबी 2003-04 के लिए)

Construction of Bhakra link

24. Dr. Sita Ram: Will the Minister for Irrigation be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new Canal in the State i-e Bhakra Link Canal; if so, the time by which the said Canal is likely to be completed; and

(b) the detail of the area to be irrigated by aforesaid Canal and the amount to be spent on its construction?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) जी हां, श्रीमान जी। नहरी पानी के समान वितरण हेतू वि. ेशकर दक्षिणी हरियाणा के लिए सरकार ने भाखडा मे लाईन हांसी ब्रांच बुटाना ब्रांच उद्दे गीय चैनल के निर्माण का निर्णय लिया है। यह कार्य वर्ष 2006-07 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(ख) भाखडा मेन लाईन हांसी ब्रांच बुटाना ब्रांच बहु उद्दे गीय सम्पर्क नहरी की परियोजना 259 करोड रू0 की लागत से स्वीकृत की जा चुकी है। इसके क्रियान्वयत के उपरान्त यह पूरे 16 जिलो अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जीन्द, हिसार जिले का हांसी, उपमण्डल भिवानी, महेन्द्रगढ, रेवाड, गुडगांव, मेवात, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत व पानीपत इत्यादि को लाभन्वित करेगा।

घोशणा

(क) अध्यक्ष द्वारा

चेयरपर्सनज के नामों की सूची

Mr. Speaker: Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Buinsness in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chariperson-

1. Dr. Raghubir Singh Kadian, MLA
2. Shri Anand Singh Dangi, MLA

3. Shri Balbir Pal Shah, MLA

4. Shri Balwan Singh Sadhura, MLA

अनुपस्थिति संबधी सूचना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a letter from

Shri Om Parksah Chautala, MLA which is as under

“Due to my illness. I am unable to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha Commencing from 14th December, 2005. Therefore, I may be permitted accordingly.”

Question is-

That permission for leave of absence for the current Session of Haryana Vidhan Sabha be granted

Voices: Yes, yes

The motion was carried

(ख) सचिव द्वारा

राष्ट्रपति/रामपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलो संबधी

Mr. Speaker: Now, the Secretary will make the announcement.

श्री सचिव: मान्यवर, मैं उन विधेयको को दाने वाला वितरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने सितम्बर, 2004 तथा जून, 2005 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर

राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय मे अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हू।

September Session, 2004.

“The Kurukshetra Shrine Bill, 2004.

December Session, 2004.

The Haryana Health Care Workers Bill, 2004

June Session, 2005

1. The Haryana State Industrial Security Force (Repeal) Bill, 2005.

2. The Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill, 2005.

3. The Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Bill, 2005.

4. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2005.

5. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2005.

6. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2005..

7. The Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2005.

8.. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2005.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पे । करना

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble Members, now I report the time table of the various Business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee meet at 11-00 AM. on Wednesday, the 14th December, 2005 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly, whilst in session, shall meet on Monday at 2.00 P.M and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, and Friday will meet at 9.30 A.M and adjourn at adjourn at 1.30 P.M without question being put.

However, on Wednesday, the 14th December, 2005 the Assmebly Shall meet at 2-00 P.M and adjorned at 6-30 P.M without question being put.

The Committee also recommends that the business on Monday, 19th December, 2005, the Assembly shall meet at 2.00 P.M and adjorn after the conclusion of the business entered in the list of business for the day.

The Committee after some discussion also recommends that the business on 14th to 15^h to 19th September, 2005, be transacted by the Sabha as follows:-

Wednesday, The 14 th December, 2005 (2-00 P.M)	1	Obituary Referecnes
	2	Question Hour.
	3.	Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
	4	Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	5.	Legislative Business
Thursday, The 15 th , December 2005 (9-30 A.M)	1	Question Hour.
	2	General Discussion on Budget Estimates for the 2002-2003
Tuesday, 14 th June, 2005 (2-00 P.M)	1.	Question Hour.
	2.	Papers to be laid, if any

	3.	Resumption of General discussion on Budget Estimates for the year 2005-2006
Wednesday, the 15 th June, 2005 (2-00 P.M)	2.	Question Hour.
	2.	Resumption of General discussion on Budget Estimates for the year 2005-2006 and reply by the Finance Minister thereon.
	3.	Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2005-2006
Thursday, the 16 th June, 2005 (2-00 P.M)	1.	Question Hour.
	2.	Motion under rule 121 for suspension of Rule 30

	3.	Official Resoultution
Friday, the 16 th December, 2005	1.	No Sitting
Saturday, The 17 th December, 2005	1.	Holiday.
Sunday, The 18 th December, 2005	1.	Holiday.
Monday, The 19 th December, 2005 (2.00 P.M)	1.	Question Hour.
	2.	Motion uder rule 15 regarding Non stop sitting
	3	Motion uder rule 16 adjornment of the Sabha sine die
	4.	Papers to be laid, if any
	5	Legilative Business
	6.	Any other Business.”

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the

recommendation contained in the First Report of the Business Advisory Committee

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) Sir, I beg to move-

That the House agree with the recommendation contained in the First Report of the Business Advisory Committee

Mr. Speaker: Motion moved-

That the House agree with the recommendation contained in the First Report of the Business Advisory Committee

Dr. Sushil Indora: Speaker sir, I have requested you that there is provision of Zero Hour. I want to raise some issues in the Zero Hour. This is the duty of the opposition members; they should raise some issues in the interest of the public. स्पीकर साहब, मैंने बी0ए9सी0 की रिपोर्ट पढ़ी है। आपने कल का नान आफि रियल डे में कन्वर्ट कर दिया है। मैं आपसे रिक्वस्ट करना चाहूंगा कि आप सै रान के दिन बढ़ाये क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए बहुत मुद्दे हैं। हमारे पास एस0वाई0एस0 का मुद्दा है और सचिन तेन्दुलकर ने जो क्रिकेट में भानदार रिकार्ड कायम किया है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, जिन सांसदों ने घोटला किया था उनके बारे में डिस्क रान होनी चाहिए। स्पीकर साहब, इतना थोड़ा समय सदन के लिए नहीं रखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि हम हाउस को पूरे समय तक चलावेंगे और हर सदस्य को बोलने का

मौका दिया जायेगा। स्पीकर साहब, एस0वाई0एस0 का मुद्दा है, एजूके इन का मुद्दा है और लां एण्ड आर्डर की बात है और बेरोजगारी का मुद्दा है। हम इन मुद्दों पर बोलना चाहते हैं (गोर)

Mr. Speaker: That is not the issue Indora Ji, sit down pleas. Hon;ble Parlianientary Affairs Minister wanted to say something.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, मैं इन्दौरा जी और माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने जो भी मुद्दे दिए हैं हमने उन सभी कागजों को एग्जामिन किया है लेकिन विपक्ष ने एक भी मौ इन हाउस की कन्सीड्रें इन के लिए नहीं रखा। अगर विपक्ष एस0वाई0एल0 के प्रति इतना ही चिन्तित होता और किसी मुद्दे पर चिन्तित थे तो इन्होंने रूलज आफ प्रोसीजन एण्ड कन्डैक्ट आफ विजनैस में प्रावधान है आप उसके तहत नोटिस दीजिए। इन्दौरा साहब अपने नेता की तरह लिखने पढ़ने से महरूम नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि आपने विधान सभा सक्लेट्रिएट को कोई नोटिस कोई कागज किसी मुद्दे के बारे में दिया ही नहीं है। अगर आपने कोई कागज दिया ही नहीं तो हम उसको कन्सीडर कैसे करेंगे। (विघ्न)

Mr. Speaker: Mr. Indora, please listen (Interruptions) Would you please Listen? (Interruptions) Indora Ji, you have given a Calling Attention Motion regarding shrotge of supply of Power. Mr. Indora, please listen

(Interruptions) would you please listen (Interruptions) Nothing to be recorded.

Mr. Speaker: Question is-

That this House agrees with the recommendation contained in the First Report of the Business Adviosry Committee.

The motion was carried.

वाक आउट

इस समय माननीय सदस्य डा० सु गील इन्दौरा सहित उनकी पार्टी के अन्य सदन मे उपस्थित सदन की वल मे आ गये ।

Mr. Speaker: Mr. Indora go to your seat. I am admitting what you are saying आप बात तो करने नही देते । (Interruptions) Listen Mr. Indora. आपने यह बात क्रिएट करनी है कि हमने हाउस मे भाोर मचाया ताकि लोग सुबह अखबरो मे पढ ले । . I appreciate it. (Interruptions) लेकिन मेरी वितनी सुनो जो आपने काल अटै िन मो िन दिया है regarding shortage of supply of power. I have admitted it (Interruptions) What does you want? Nothing more then this. सिर्फ भाोर मचाने की बात नही बनेगी ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, पिछली सरकार मे यह रवायत थी कि जब भी हम कोई मो िन दिया करते थे उस समय की सरकार उसको उसी समय रिजैक्ट कर

दिया करती है अब इनकी यह एतराज है कि इसका मोान एडमिट क्यों कर लिया। (गोर)

Mr. Speker: Mr. Indora, please listen. I have admitted your Calling Attention Motion. It will come (Interruptions) आप अपनी जगह पर जाकर बात करो। आप यहां हाउस की बैल मे खडे होकर बोल रहे है मै यहां से आपकी बात सुनने को तैयार हू। I am not going to hear you from here. Go to your seat first. I will not hear you. Do not create the scene. You are not going to gain anything (Interruptions) No. I am not going to hear you. Go, go.

डा० सु गीला इन्दौरा: स्पीकर साहब, आप हमारी बात नही सुन रहे है इसलिए हमारी पार्टी के सभी सदन मे उपस्थिति सदस्य सदन से वाक आउट करते है।

इस समय नेानल लोकदल पार्टी के सदन मे उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गये।

सदन की मेज पर रखे गए/पुन रखे गए कागज पत्र

Mr. Speker: Now, a Minister will lay/re-lay the papers on the Table of the House.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Speaker Sir, I beg to lay on the Table.

The Haryana Department and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Ordinance, 2005, (Haryana Ordinance No. 4 of 2005

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Speaker Sir, I beg to lay on the Table.

The Town and Country Planning Department Notification No. DS-II-05/4737, dated the 23rd May, 2005, regarding the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2005, as required under section 24(3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

The Personnel Department Notification No. G.S.R 37/Const/Art 320/2004, dated the 14th December 2004, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regarding 2004, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R 38/Const/Art 320/2004, dated the 14th December 2004, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regarding 2004, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O 59/H.A 9/1979/S. 8/2005, dated the 1st August 2005, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Rules, 2005, as required under section (8)3 of Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O 83/H.A 6/2003/S. 60/2005, dated the 28th October, 2005,

regarding the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2005, as required under section (60)4 of Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O 91/H.A 6/2003/S. 60/2005, dated the 29th November, 2005, regarding the Haryana Value Added Tax (Fourth Amendment) Rules, 2005, as required under section (60)4 of Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Town and Country Planning Department Notification No. DS-II-05/4737, dated the 13th September, 2005, regarding the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Rules, 2005, as required under section 24(3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

The Personnel Department Notification No. G.S.R 3/Const/Art 320/2004, dated the 15th June, 2005, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regarding 2004, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R 5/Const/Art 320/2004, dated the 15th June, 2005, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regarding 2004, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R 18/Const/Art 320/2004, dated the 29th November, 2005, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation

of Functions) Amendment Regarding 2004, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Grand Utilization Certification and Audit Report of Chaudhary Chara Singh Haryana Agricultural University Hisar for the year 2001-2002, required under section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural University Act, 1970.

The Annual Statement of Accounts of the Housing Board, Haryana, for the year 2002-2003, as required under Section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Services) Act, 1971.

The Annual Statement of Accounts of the Housing Board, Haryana, for the year 2003-2004, as required under Section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Services) Act, 1971.

The Annual Accounts of the Haryana Khadi and Gramodyog Board for the year 2001-2002, as required under Section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Services) Act, 1971.

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 2004-2005 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Account of the Government of Haryana for the year 2004-2005 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2005 (Revenue Receipts) of the Government

of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Consitution of India.

विधान कार्य

दि कुरुक्षेत्र हाऊसिंग बोर्ड (अमैडमेंट) बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Houseing/Board (Amedment) Bill, 2005 and will also move the motion for iits consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Speaker Sir, I beg to introduce the Haryana Houseing/Board (Amedment) Bill, 2005.

Sir, also beg to move-

That the the Haryana Houseing/Board (Amedment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the the Haryana Houseing/Board (Amedment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the the Haryana Houseing/Board (Amedment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Clause-2

Mr. Speaker: Question is

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried..

Enactting Formula

Mr. Speaker: Question is

That Enactting Formula be the Enactting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

दि कुरुक्षेत्र भाराइन (रिपील) बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Kurukshetra Shrine (Repeal) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Speaker Sir, I beg to introduce the Kurukshetra Shrine (Repeal) Bill, 2005.

Sir, I beg to move-

That the Kurukshetra Shrine (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved-

That the Kurukshetra Shrine (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

डा० सु गीला इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदंसदीय मंत्री जो कुरुक्षेत्र भाराइन रिपील बिल लेकर आए हैं, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। इस बिल के उद्देश्य एवम कारणों के विवरण में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के साधुओं, संतों तथा धार्मिक संस्थाओं ने कुरुक्षेत्र पूजा स्थल अधिनियम, 2004 को लागू करने के विरुद्ध प्रतिवेदन दिए हैं। विभिन्न साधुओं, संतों, तथा धार्मिक संस्थाओं का आपत्तियों एवम प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुरुक्षेत्र पूजा स्थल अधिनियम 2004 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। यानि कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साधु संतो का एक रिप्रजेंटेशन मिला। इस देश में साधु संतो का बहुत मान सम्मान है और हमें साधु संतो का मान सम्मान करना भी चाहिए लेकिन सिर्फ इस बात के लिए कि उन्हें साधु संतो का एक प्रतिवेदन मिला और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा ठीक है हम इसको निरस्त करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकार की देख रेख में हो तो ठीक रता है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता स्वयं कहते हैं कि हम पारदर्शिता सरकार लाएं हैं, भय, भ्रष्टाचार मुक्त भासना देना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि पारदर्शिता बनाए रखने की बात है तो इनको इस बिल के बारे में गहराई से सोचना चाहिए था। ऐसे मामले में दूसरे किसी ट्रस्ट या आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती है जितनी सरकार की जिम्मेदारी होती है सरकार इस बात को देखती है कि उसका डिवैल्पमेंट और मैनेजमेंट कैसे हो सकता है कुरुक्षेत्र का महत्व केवल हरियाणा प्रदेश के लिए ही नहीं है बल्कि यह एक

धार्मिक स्थल है और इसका महत्व पूरे देश में है दूर दूर से टूरिस्ट यहां पर आते हैं जिस से इस स्थल में उनकी धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। अध्यक्ष महोदय, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन सरकार से मेरा एक विशेष निवेदन है कि जिस प्रकार सरकार ने माता मन्सा देवी के मन्दिर की तरफ विशेष ध्यान देकर वहां का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था और आज यहां पर जब जाते हैं तो उसके डिवैल्पमेंट, प्रबन्धन तथा रख रखाव को देखते हुए सभी लोग प्रभावित होते हैं कुछ वैसा ही प्रबन्ध वहां पर भी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब सांसद थे वे माता विश्णो देवी गए थे उस समय वहां प्रबन्ध प्राइवेट हाथों में था और उन्हें वहां के हालात के बारे में पूरा ज्ञान है लेकिन जब आज वहां पर जाते हैं तो वहां के डिवैल्पमेंट और प्रबन्धन को देखकर कितना अच्छा लगता है अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से गुडगांव भीतला माता का मन्दिर है जहां पर एक विशेष रस्म होती है लोग वहां पर बड़ी संख्या में जाते हैं। पहले वहां पर बहुत बुरी हालत होती थी। मिसमैनेजमेंट के कारण वहां पर कोई चीज नहीं मिलती थी और लोग धक्के खाते रहते थे। आज उसका डिवैल्पमेंट हुआ है और वहां का प्रबन्धन तथा रख रखाव इतना अच्छा है और उस मन्दिर की भव्यता को देखते ही बनती है अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है कि सरकार इस बात को दोबारा से देख ले और हाउस की एक कमेटी बना दीजिए। इस कमेटी के द्वारा सारी चीजों की पूरी तरह से जांच कर ली जाए। हाउस की कमेटी इस बात को देख ले कि

वाकेय ही जजो रि प्रैजैटैन्स एंज दी गई है वह सही है और किस हद तक वायबल है छानबीन करने के बाद यह हाउस कमेटी सिम्पेथेटिकली तथा गहराई और अध्ययन करने के बाद जो रिपोर्ट देगी सरकार उसके अनुसार कार्यवाही कर ले तो ज्यादा उचित होगा। यह जरूरी नहीं है कि यह निवेदन आज ही किया जाए, इसमें निवेदन करने की इतनी जल्दी क्या है। हम यह सोचते कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र का एक विशेष नाम और स्थान है, उसके धार्मिक स्थलों का अपना नाम है उन धार्मिक स्थलों की इज्जत सारे संसार में होती है उसका वैश्व मान सम्मान बना रहे इसलिए हाउस की कमेटी बना कर इस पर पुन विचार कर ले और हाउस की कमेटी की जो रिक्मेंडेंस एंज हो उस पर कार्यवाही कर ली जाए।

श्री रमेश कुमार गुप्ता (थानेसर): अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो बिल कानून बनाने के लिए लाया गया है यह बिल जन भावनाओं के विपरीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कुरुक्षेत्र में आए थे तो उस समय कई रि प्रैजैटैन्स एंज दी गई थी जिनमें से कुछ रि प्रैजैटैन्स साधुओं की और से दी गई थी और आम नागरिकों की तरफ से अलग रि प्रैजैटैन्स एंज दी गई थी और आम नागरिक यह चाहते थे कि इन मंदिरों का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। यहां पर जो मन्दिर है उनमें कोई भी मन्दिर ऐसा नहीं है जहां पर बाहर से भीड़ इकट्ठी हो रही हो। ये सभी मन्दिर कुरुक्षेत्र के आस पास के लोगों तक ही सीमित हैं और

उनके बारे में सरकार द्वारा लिया गया फैसला सरासर गलत था और जन भावनाओं के विपरित है इसलिए इन मन्दिरों का अधिग्रहण नहीं होनी चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री इन्दौरा जी तथा गुप्ता जी को बताना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म से सम्बन्धित धार्मिक स्थलों को लेकर चाहे वे धार्मिक स्थल किसी भी धर्म के हों उनके सही संचालन में कांग्रेस पार्टी के स्तर पर हमें पहल हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने याद दिलाया है कि माता मनसा देवी कम्प्लैक्स तथा कुरुक्षेत्र डिवैल्पमेंट बोर्ड दोनों ही इस प्रान्त को कांग्रेस पार्टी की सरकार की देन हैं जिसकी वजह से इन स्थलों का सुसंचालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी नीयत के अन्तर्गत ही इनका सरकार को कुरुक्षेत्र भाराईन एक्ट, 2004 लेकर आई थी जिसमें केवल कुरुक्षेत्र की ही बात नहीं थी यह प्रावधान किया गया था कि कुरुक्षेत्र में 48 कोस के अन्दर जो मन्दिर हैं उनके सरकारीकरण की बात थी। माननीय इन्दौरा साहब ने भायद उस कानून को पढ़ा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस कानून को लेकर काफी विवाद उठा था जिसमें अध्यक्ष महोदय, आपका क्षेत्र पेहवा था उसमें जितने भी मन्दिर थे उनमें साधु सन्तों पुजारियों तथा आम आदमी की छोटे छोटे मन्दिरों में आस्थाथी और जिनका संचालन और पूजा अर्चना वे स्वयं किया करते थे उनका सरकारीकरण कर दिया गया था कि एक वर्ष तक वह

कानून बना रहा लेकिन सरकार उसको लागू नहीं कर पाई। इस कानून को इनकी सरकार इसलिए लागू नहीं कर पाई क्योंकि इसको लेकर जन भावनाओं से व्यापक आक्रोश था। सरकार के इस कदम के खिलाफ लोगों के अन्दर गुस्सा और आक्रोश था इसलिए सरकार इस कानून को अमली जामा नहीं पहना सकी। वर्तमान सरकार के गठन के बाद अलग अलग सदस्यों ने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। साधु संतो और आम लोग भी इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के पास आए।

16.00 बजे

उन्होंने कहा कि यह कानून न न्यायसंगत है और न ही सही है। इससे उनको अपने अपने धर्म को मानने में और उनके रीतिरिवाजों में बाधा आएगी। यह सोचकर ही सरकार कानून को लेकर आई है, वह बिल लाई है और मेरा आपके माध्यम से ही इस सदन से अनुरोध है कि इस बिल को पास किया जाए। (विघ्न)

Mr. Speaker: Question is-

That the Kurukshetra Shrine (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried..

Enactting Formula

Mr. Speaker: Question is

That Enactting Formula be the Enactting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move
that the Bill be passed.

**Transport Minister (Shri Randeep Singh
Surjewala):** Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

डा० सु गीला इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मैने मंत्री जी को सुझाव दिए थे उस बारे में मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है और न ही उनको माना है। हमने इनसे कहा था कि आपको इतनी जल्दी क्या है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी इन्दौरा जी जो कहा है इस बारे में मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि हम यह बिल किसी एक ज्ञापन पर ही नहीं लाए हैं आपकी जब सरकार थी उस वक्त आप अधिग्रहण का बिल लाए थे और हमने उस वक्त भी अपोजिशन में होते हुए इसका विरोध किया था। हमने इस बारे में लोगों से वायदा किया था और हमने उस वायदे को निभाया है।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed

The motion was carried.

दि हरियाणा पचायती राज (अमैडमैट) बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Pachayati Raj (Amendment) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Pachayati Raj (Amendment) Bill, 2005

Sir, I also beg to move-

That Haryana Pachayati Raj (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Haryana Pachayati Raj (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

डा० सु गीला इन्दौरा(एस०सी० ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी कांग्रेस पार्टी की व्याख्यान करते हैं तो कई बार दिल में एक टीस सी उठती है। कांग्रेस के राज में कितने घोटाले, अत्याचार, बलात्कार और हत्याएं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: इन्दौरा जी, मैं भी कल टी०वी० देख रहा था और घोटालों का जो हाल हुआ है, आप इस बात को छोड़ दीजिए। Please come on the Bill.

डा० सु गीला इन्दौरा(एस०सी० ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप हमारे संरक्षक हैं। जब उनकी तरफ से हमारे प्रति कोई कमेंट्स आते हैं तब भी आपको हमारा ध्यान रखना चाहिए और हमें भी उनको कुछ कहने का मौका देना चाहिए। (विधन)

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, हम सदन में आज चार बिल अमैडमेंट के लिए लाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है की अपोजी उन को एक एक सदस्य इसके बारे में बोलेगा। और अपने विचार सदन में रखेगा। इससे लोगों को पता चलेगा कि कितने बढ़िया ये बोलते हैं। (विघ्न)

डा० सु गीला इन्दौरा(एस०सी० ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी वक्त के तकाजे का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। (विघ्न) मैं इस बिल के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था और वित्त मंत्री जी से पूछा था कि आपने जो एक रोजगार सम्मेलन किया था और उसमें आपने लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था। क्या आपने वायदा पूरा किया है? (विघ्न)

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, ये अमैडमेंट क्या लाना चाहते हैं इनको इस बारे में बताना चाहिए।

डा० सु गीला इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। इन्होंने एक बात अपने रोजगार सम्मेलन में कही थी। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने कुरुक्षेत्र के भाहरी लोगों से वायदा किया था इसी कारण आज इन्होंने उस वायदे को निभाया है तो हमारे वित्त मंत्री जी ने भी हरियाणा प्रदेश के लोगों से रोजगार रैली में एक वायदा किया था कि हम रोजगार देंगे। लेकिन आज जो पंचायत बिल यहां पर

लाया जा रहा है इससे तो यह रोजगार छिनने का काम कर रहे है हमारी सरकार ने तो ग्राम के एक आदमी को रोजगार देने का काम किया था। अगर यह ओवर ऐज हो जाए तो भी उसको रोजगार दिया जाता था। इससे सरकार को भी बहुत फायदा था क्योंकि इससे एक लिंक चैनल बन गया था। वह आदमी गांव के लोगो की भावना को, उनकी बातो को अच्छी तरह समझता था क्योंकि वह घर घर मे जाता था और वह समाज मे हर वर्ग के लोगो मे भली भाति परिचित होता था।

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना): सर, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, इन्होने जिला परिशद् के तहत टीचर्ज रखे लेकिन तनख्वाह नही मिली। इन्होने ग्राम सहायक रखे लेकिन उनको भी तनख्वाह नही मिली तो बिना तनख्वाह के इन्होने रोजगार दिया था जबकि हम तो तनख्वाह देगे। (विधन)

डा० सु गीला इन्दौरा(एस०सी० ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, ये अपनी पार्टी के जिम्मेवार डिप्टी लीडर है लेकिन ये एक ऐसा ब्यान दे रहे है जो बिल्कुल असत्य है। इन्होने कहा कि इन्होने रोजगार दिया था। अध्यक्ष महोदय, ये शिक्षा मंत्री की स्टेटमेंट को चेलेंज कर रहे है और कह रहे है कि इन्होने उनको पूरा पैसा दिया था, अध्यक्ष महोदय, मै इस बारे मे फ़ैक्चुअल पोजीटिव बताना चाहूंगा। ये इस बारे मे बिल्कुल असत्य बोल रहे है। केवल 1884 बच्चे थे जिनको इनकी सरकार ने मात्र तीन हजार रूपये देना था लेकिन 255 लाख रूपये उकना बकाया है,

इसलिए असत्य बोल रहे हैं, सरासर असत्य इस सदन के अन्दर बोल रहे हैं और सदन को बरगला रहे हैं।

Mr. Speaker: Mr. Surjewala Ji, you will get the opportunity to reply all this.

डा० सु गीला इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी समझदार आदमी हैं इनको पता होना चाहिए कि जब कोई बोल रहा हो तो उसको बीच में रोकना नहीं चाहिए और टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें किसी जनसभा में तो अच्छी लगती हैं लेकिन यहां पर नहीं। यह सदन की मर्यादा का ध्यान रखें। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपसे खुद कहा है कि आपकी ही इस बारे में जिम्मेवार बनती है।

Mr. Speaker: Mr. Indora Ji, would you please proceed? अगर आप नहीं बोलते हैं तो मैं दूसरे आदमी को बोलने के लिए कॉल कर देता हूँ।

डा० सु गीला इन्दौरा(एस०सी० ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरा इस कारण लिंक कट जाता है मैं यह कह रहा था कि हमने गांव के एक ऐसे आदमी को रोजगार दिया जोकि सरकार के लिए फायदेमंद था क्योंकि यह सरकार को सही रिपोर्ट देता, वह थाने और तहसील को भी सही रिपोर्ट देता। ऐसा भी नहीं है कि वह अनपढ़ आदमी था वह तो पढ़ा लिखा आदमी था। हमारे ऊपर पिछली बार भी यह लांछन लगाया गया था कि हमने तीस हजार लोगों को नौकरियों से हटा

दिया था यह आन रिकार्ड की बात है कि कोई 30 हजार की बात करता था, कोई 35 हजार की बात करता था और कुछ और बातें करता था। लेनिक मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हमारी सरकार ने सरकारी तौर पर कोई भी आदमी नहीं हटाया था। यह बात आज एक बार फिर सिद्ध हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पिछली बार जो हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के लोग निकाले थे तो उस समय इन्होंने कहा था कि जब भी पुलिस में भर्ती होगी तो सरकार इनको अडजैस्ट करेगी लेकिन आज तक भी एक आदमी अडजैस्ट नहीं हो पाया है। अगर ऐसा हुआ हो तो बताएं। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से कहना चाहूँगा कि मटका चौक पर जाकर देखो, यह कल आप दिल्ली में होते तो वहाँ देखते हैं। (गोर एवम व्यवधान).....

Mr. Speaker: It is not to be recorded. I will not permit it. आप के पास बोलने के लिए मैटर नहीं है तो आप बंद करो। (गोर एवम व्यवधान).....

डा० सु गीला इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुने। (गोर एवम व्यवधान).....

Mr. Speaker: I will not allow it. Now next member will speak. (Interruptions)

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन की बैठक से आ गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष: आप सभी अपनी अपनी सीटो पर जाकर बैठिए। मैने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। (गोर एवम व्यवधान)..... आपने बहुत वायदे किए, बहुत वायदे पूरे किये और लोगो ने भी बहुत पूरे कर दिए। Go to your seats. जब आप उधर थे तब भी नहीं बोलने देते थे और अब आप इधर हो तब भी वही हाल है। (गोर एवम विघ्न) पूरी कार्यवाही हो गई, सौ फिसदी हो गई, बचा ही कुछ नहीं है। (गोर एवम विघ्न) Mr Indora, This is not the way यह कोई तरीका है, मै पोलाइटली बात कर रहा हू। ठीक ढंग से बात कर रहा हू तो आप ऐसे कर रहे है, है। (गोर एवम विघ्न) आप क्या बात करते है, मखौल बनाया है, और क्या है। (गोर एवम विघ्न) आप अपनी अपनी सीटो पर वापस जाइए।

डा० सु गीला इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, जब सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी तब तक नहीं जाएंगे। (गोर एवम विघ्न)

Mr. Speaker: Nothing to be recorded, This is very very unfortunate. Don't try to create scene (Interruptions)

श्री एस०एस० सुरेजवाला (कैथल): अध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा पंचायती राज अमैडमेंट बिल पर बोलने के लिए खडा हुआ हू। मै आप से निवेदन करता हू कि जो इनेलो की पिछली सरकार थी उस ग्राम सहायको के नाम से ग्राम भक्षक इनकी पार्टी के जो अपराधी कार्यकर्ता थ इन्होने वह लोग भर्ती किए। (गोर एवम विघ्न)

डा० सु गीला इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय,..... (गोर एवम विघ्न)

Mr. Speaker: If you want to sit then sit down, if you want to go then you can go. (Interruptions) Nothing to be recorded. Now, Shri Shamsheer Singh Surjewala may speak.

श्री एस०एस० सुरेजवाला (कैथल): अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने ग्राम पंचायतों के ऊपर खामखाह का एक नायायज बर्डन डाला। मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि सरकार ने इन पोस्टों को खत्म किया है और सरकार ने ग्राम पंचायतों को उस बर्डन से उभरने का मौका दिया है। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि ग्राम सचिव की क्वालिफिके इन कम से कम बी०एड० या बी०एस०सी० होनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि ग्रामीण सचिव की क्वालिफिके इन को बढ़ाकर कम से कम बी०ए० या बी०एस०सी० करना चाहिए। वर्तमान एक्ट में जो ग्रामीण सचिव लगाए थे सरकार ने उनके लिए कोई क्वालिफिके इन निर्धारित नहीं की थी और अनपढ़ लोगों को ग्रामीण सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। वे पंचायत को कोई गाइड नहीं कर सकते थे। स्पीकर साहब, मैं सरकार से यह भी दरखास्त करना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायतों की प्रोपर्टी जिसमें भामलता लैण्ड, रास्ते, चौक, चौराहे जोहड, कुंए और दूसरी पब्लिक इस्तेमाल की जमीन है उनके नक्शे बनाने चाहिए क्योंकि बेगुमार मुकदमें आज पंचायत और व्यक्तियों के खिलाफ चल रहे

है क्योंकि इस समय पंचायत की जो प्रापर्टी है उनके नक्शे मौजूद नहीं है। (विधन)

Mr. Speaker: Mr. Sita Ram, please listen to me, आप जो कह रहे हैं वह बात प्रेस वाले लिख लेंगे।

श्री एस०एस० सुरेजवाला: अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस समय पंचायतों के पास कोई अख्तियार नहीं है। अफसर ग्राही पंचायती राज को पंगू बनाये हुए हैं। इसलिए सरकार को पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने चाहिए। पंचायत को स्वायत्त बनाना चाहिए ताकि रीयल सेंस में प्रजातंत्र का एक नमूना पैदा हो सके। (विधन एवम भाोर)

Mr. Speaker: This is unfortunate (interruptions) I am not going to expel you today. You continue shouting. ये लोग देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। I am not going to expel you today. You continue shouting. ये लोग देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं।

श्री एस०एस० सुरेजवाला: अध्यक्ष महोदय, सिवाय भामलता जमीन और चकौता के पंचायतों के पास कोई आमदनी नहीं है। जिसका नतीजा यह है कि पंचायत सरकार की ग्रांट पर निर्भर करती हैं इसलिए यह उपाय करने चाहिए कि पंचायतों के लिए नई किस्म की आमदनी जरूरत करे ताकि पंचायत अपने पावों पर खड़ी होकर गावों की तरक्की के काम कर सके। मैं

इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसलिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बिल को पास किया जाये। (विघ्न एवम भाोर)

वाक आउट

डा० सु गीला इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए इस सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नै ानल लोकदल के सदन मे उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गये।)

दि हरियाणा पचायंती राज (अमैडमैट) बिल, 2005 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Question is-

That Haryana Pachayati Raj (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried..

Enactting Formula

Mr. Speaker: Question is

That Enactting Formula be the Enactting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move
that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री रणदीप सिंह सुरेजवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नोटिस में एक महत्वपूर्ण तथ्य लाना चाहता हूँ। माननीय विपक्ष के साथी सदन से वाक आउट करके गये हैं। पिछली सरकार ने 2725 ग्रामीण विकास सहायकों की भर्ती मनमाने ढंग से और बदनीयति से की थी। जिसका नजारा पूरे हरियाणा ने देखा। वे केवल एक वि. श. पार्टी के कार्यकर्ता थे। उस समय वि. श. समिति का तहसील लेवल पर गठन करके ये नियुक्तियों की गई थी और इन में से केवल 1884 ग्रामीण सचिवों ने ही जवाब दिया था जबकि 841 ने जवाब देने से मना कर दिया था। इन ग्रामीण सचिवों को हर महीने 3000 रुपये प्रतिमाह की राशि आनरेरियम के रूप में देने का उस समय की सरकार ने फैसला किया था। आज विपक्ष के भाई बेरोजगारों के बारे में दुआई दे रहे हैं। लेकिन रिकार्ड पर यह है कि उन ग्रामीण विकास सहायकों को 255 लाख रुपये भत्ते के रूप में देना था लेकिन उस समय की लोकदल की सरकार ने वह नहीं दिया। वह आज तक बकाया है और वे ग्रामीण विकास सहायक इस बात को लेकर हाई कोर्ट में गये। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा के नेतृत्व की सरकार ने फैसला किया है कि सरकार उनके भत्ते की एक एक आना और पाई उनको देगी और यह 255 लाख रुपये की

राशि । उन ग्रामीण सचिवों को सरकार ने देने की उदारदिली दिखाई है। पंचायत सैक्टरी का जो दफतर था उसको पंगु बनाने का सोचा समझा इंडयत्र था, आज हम उसको निरस्त कर रह है, ग्राम पंचायत के सहायक पद को खत्म कर दिया जाएगा। पंचायत सैक्टरी जो थे जिनका डिमिन इन कांडर बना दिया गया था वे गांव की तरक्की में काम करते रहेगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से दरखास्त करता हू कि इस कानून को पारित कर दिया जाए।

श्री नरे । मालिक (हसनपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने सही कहा है कि पिछली सरकार ने केवल पंचायत को पंगु बनाने के लिए वह कानून बनाया था, कुछ एजैट बना दिए थे, जब गांव की इलैक्टिड बोडी है, पंचायत है, उसके साथ सैक्टरी पहले से ही सरकार ने दिए हुए थे। मेरा सरकार से और मंत्री महोदय को सुझाव है कि आज भी पंचायतों की स्थिति यही है यह बिल तो ये ले आए है लेकिन इसमें थोड़े सुधार की गुजांइ । है मैं भी संरपचत रहा हू ब्लाक समिति का चैयरमैन रहा हू इसलिए कहना चाहूंगा कि आज ग्राम पंचायत या संरपच को अगर कोई अधिकार नहीं निकवे बी0डी0पी0ओज0 को कोई निर्दे । दे सके। मेरा सरकार को सुझाव है कि पंचायतों और ब्लाक समिति को कुछ अधिकार दिए जाए ताकि जो भ्रष्टाचार इस स्तर पर चल रहा है जिसमें पंचायतों को गुजरना पड रहा है, खत्म हो सके। अन्त में मैं इस बिल का स्वागत करता हू लेकिन साथी ही यह अनुरोध

करता हू कि इस बिल मे थोडा सं तोधन करके पंचायतो को और अधिकार दिए जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा इण्ड्रियल प्रोमी ल बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Industrial promotion Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Industrial Promotion Bill, 2005.

Sir, I also Beg to move-

That the Haryana Industrial Promotion Bill be taken in to consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Industrial Promotion Bill be taken in to consideration at once.

श्री बलबीर सिंह (एस0सी0सढौरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि मंत्री महोदय जो हरियाणा इंडिस्ट्रियल प्रमो लन बिल लाए है उसमे चैप्टन 2 मे 3 कमेटीज है, 5 करोड तक डिस्ट्रिक्ट लैवल पर, 5 करोड से 30 हजार तक

स्टेट लैवल पर और 30 करोड से ऊपर के लिए हाई पावर्ड परचेज कमेटियों बनी हुई है। आज भी जी०एम० डिस्ट्रिक्ट लैवल पर बैठे है। स्टेट लैवल पर एच०एस०आई०डी०सी० काम कर रही है और हाई पावर्ड परचेज कमेटी भी बनी हुई है। मेरे कहने का मतलब है कि जब हाई पावर्ड परचेज कमेटी बनी हुई है तो फिर इस दूसरी कमेटी के बनाने का क्या औचित्य है? इसके बाद चैप्टर दो में क्लॉज 13 के अनुसार जब कमेटियां बन जाएगी तो कमेटी के जो मैम्बर है, चेयरमैन है या कोई भी सदस्य है, चाहे वे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं या दूसरा कोई भी सदस्य है अगर उसकी वजह से कोई डिले होती है तो उस मैम्बर को कोई सजा का प्रोवीजन इस बिल में नहीं है। जबकि जो यूनिट है उसको गिल्टी मानकर उसको सजा का प्रोवीजन इस बिल में है। ये दो मापदण्ड क्यों हैं ? इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर यूनिट कोई गलत काम करता है तो उसको सजा मिल सकती है तो कमेटी के चेयरमैन या मैम्बर की तरफ से कोई डिले होती है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। दोनों आदमियों के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, धन्यवाद।

डा० सु गीला इन्दौरा(एस०सी० ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल के जो आब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ इस बिल के जो आब्जेक्ट्स हैं उसमें एक बात कही गई है to promote the industrial development और उसके लिए to attract all

investment of the multinational and बड़े औद्योगिक घराने हैं, उसमें कुछ क्लाइंट ऐसी हैं जिसमें उनको प्रोटेक्टिव इन नहीं है जो व्यक्ति इण्डस्ट्री लगाता है वह पैसा उधार ले कर लगाता है या ही से लोन लेता है और इण्डस्ट्री लगाता है उसके लिए इसमें कोई प्रोटेक्टिव इन नहीं है इसलिए इसमें ऐसा कुछ कानूनी प्रावधान रखा जाना चाहिए जिस तरह से इस बिल में यह लिखा गया है कि जो मैम्बरज या चैयरमैन होंगे वे गुड फेथ में जो भी फैसला लेंगे वह फाइनल होगा और उसको कहीं पर भी चैलेंज करने का कोई प्रावधान नहीं है। nothing is challengeable एक गरीब आदमी कहीं से लोन ले कर इण्डस्ट्री लगाता है और गुड फेथ में कहीं पर उससे भी गलती हो सकती है, अगर किसी इण्डस्ट्रियललिस्ट से कोई गलती हो जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और उस गलती को ठीक करने के लिए इस बिल में कहीं पर कोई प्रोविजन नहीं किया गया है कि वह व्यक्ति कोर्ट में जा सके और उसे पर चैलेंज कर सके। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में कोई ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए कि गुड फेथ में उसके मैम्बरज या कमेटी के चैयरमैन से अगर कोई गलती होती है या इण्डस्ट्रियललिस्ट के साथ कोई ज्यादाती होती है तो उसके खिलाफ वह कोर्ट में जा कर अपनी बात कर सके। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक इण्डस्ट्रिय पॉलिसी बनाई थी कि हम विशेषतौर से इण्डस्ट्री को बढ़ावा देंगे जो Coordination between the labour in between the industries, in between the Government कोई ऐसा प्रोविजन हो कि वह अपनी बात को कानूनी तौर पर कह सके। लेकिन इसमें ऐसा कहीं पर भी

कोई प्रावधान नहीं है कि वह कानूनी लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इस बिल में सुधार करके इसको लागू किया जाए तो यह सही कदम होगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, हरियाणा प्रान्त में एक नई औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात करने के लिए हरियाणा इण्डस्ट्रियल प्रमोशन बिल, 2005 इस विधान सभा में हम लेकर आए हैं जैसे इस बिल के आबजैक्ट्स एण्ड रीजन्ज में लिखा है कि जो रेगुलेटरी फ्रेम वर्क इण्डस्ट्री लगाने के लिए, उसके स्पीडो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज किसी भी प्रान्त के अन्दर इण्डस्ट्रीज में निवेश करने के लिए नए उद्योग लगाने के लिए यह एक जरूरी मापदण्ड है। स्पीकर साहब, आज सारे प्रान्त अपने अपने प्रान्तों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो और ज्यादा ज्यादा उद्योग वहां पर आए इस तरह का प्रावधान करना चाहते हैं। हरियाणा प्रान्त में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा के कुशल नेतृत्व में हमने यहां पर एक नई क्रान्तिकारी पहल की है माननीय साथी श्री इन्दौरा साहब का जो सुझाव था मैं केवल उनकी जानकारी के लिए यहां पर बताना चाहूंगा कि This is an industrial promotion Bill. This is not to promote better relationship between the labour and industry. वह डिफरेंट ऐक्ट एण्ड डिफरेंट कानून है। स्पीकर साहब, हरियाणा की सरकार ने विशेष प्रावधान किया है कि जो मोटे तौर पर कहा है कि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लियरेंस कमेटी बनाई गई है। अगर कोई

उद्योगपति जो पांच करोड़ तक का निवेश करना चाहेगा वह आए और उसको सिंगल प्वायंट क्लियरेंस इस बिल के माध्यम से हरियाणा की सरकार देगी। इस प्रकार से पांच करोड़ तीस करोड़ का निवेश अगर कोई लेकर आएगा तो प्रान्तीय स्तर की जो कमेटी है वह उसको सारी क्लियरेंस देगी। एक ही जगह पर उसका निवेश 30 करोड़ रुपये से अधिक होगा तो हाई पावर क्लियरेंस देगी। एक ही जगह पर उसका निवेश 30 करोड़ रुपये से अधिक होगा तो हाई पावर क्लियरेंस कमेटी सभी की क्लियरेंस वह उस उद्योगपति को देगी ताकि उसकी सभी जरूरियात हम जल्दी से जल्दी पूरी कर सकें। और उत्तर प्रदेश के अन्दर ज्यादा निवेश आए प्रदेश की तरक्की हो और अधिक रोजगार का सृजन हो और जितना जल्दी हो सके राज्य में उद्योग धन्धे लग सकें।

स्पीकर साहब, इस सरकार के गठन के बाद प्रदेश में उद्योग तथा कृषि में एक नई क्रांति आई है तथा पूरा माहौल तथा फिजां बदली है। हुक्मरानों के साथ ही प्रान्तों की फिजां बदलती है। स्पीकर साहब, एक समय वह भी था जब आपने भी देखा और हमने भी देखा तथा प्रान्त में एक करोड़ से अधिक लोगो ने भी देखा जब सरकार की मन्ता यह होती थी कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लूट खसोट की जाए। उस समय आंतक का सरकारीकरण कर दिया गया था। स्पीकर साहब, गुण्डागर्दी का आलम चण्डीगढ़ सचिवालयों से चला करता था और उद्योगपतियों के घरों के आगे, फैक्ट्रियों के आगे खाईया खोद दी जाती थी और जब तक वे लोग एक विशेष राशि व्यक्ति विशेष को नहीं

देते थे तब तक उनके उद्योग धन्धे को चलने तक की इजाजत नहीं दी जाती थी। स्पीकर साहब, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस प्रथा तथा तौर तरीके को बदला है और हमने नई रवायतें डाली हैं और एक पारदर्शी तथा ईमानदार सरकार का गठन हुआ है। और इस प्रथा के चलते हम एक पारदर्शी बिल लेकर आए हैं हरियाणा में जहां की किसी भी प्रान्त में भी कोई उद्योगपति चाहे वह राष्ट्रीय स्तर से आए या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से आए, निवेश करना चाहे कर सकता है। किसी को भी एक पैसा दिए बगैर ही उसको फाटफट क्लियरेंस दी जाएगी। स्पीकर साहब, इस बात का भी प्रावधान इस बिल में किया गया है कि अगर एक विशेष सीमा के अन्दर उसको क्लियरेंस नहीं दी जाएगी तो एक डिम क्लियरेंस उसके सारे प्रोजेक्ट को दी गई मानी जाएगी। आज मुझे विपक्ष के साथियों से आशा थी कि इस मुद्दे पर जो कि प्रान्त की तरक्की का मुद्दा है, इस प्रान्त को आगे ले जाने का मुद्दा है, नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने का मुद्दा है के बारे में ये सब आगे बढ़कर मुख्यमंत्री जी को भुक्तियां करेंगे और इस बिल की ताईद करेंगे लेकिन इनकी तो बाल की खाल निकालने की आदत है। (विधन) स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हू कि इस बिल को पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That Haryana Industrial Promotion Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause
by Clause.

Clause-2 of Clause-1

Mr. Speaker: Question is
That Sub Clause 2 of Clause 1 stand part of the
Bill.

The motion was carried.

Clause-3 of Clause-1

Mr. Speaker: Question is
That Sub Clause 3 of Clause 1 stand part of the
Bill.

The motion was carried.

Clause-1 to 16

Mr. Speaker: Question is
That Clause 2 to 16 stand part of the Bill.

The motion was carried..

Sub-Clause-3 of Clause-1

Mr. Speaker: Question is
That Sub Clause 1 of Clause Clause 1 stand part of
the Bill.

Enactting Formula

Mr. Speaker: Question is

That Enactting Formula be the Enactting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move
that the Bill be passed.

**Transport Minister (Shri Randeep Singh
Surjewala):** Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल): स्पीकर साहब, मैं हरियाणा सरकार को इस बिल को लाने के लिए बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। वाकई में हरियाणा में बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ापन का अगर सबसे बड़ा कोई कारण था तो यह था हरियाणा में इण्डस्ट्रीलाईजेशन। इस बारे में एक सच बात है कि

आज पूरे संसार में बहुत नजदीकी आ गई है और आज व्यापार में तमाम रूलज और लाल फिता गाही बहुत की क्वीक पेस से खत्म की जा रही है उसमें आज हरियाणा इस बिल को लाए बिना कदम से कदम मिलाकर चल नहीं सकता था। पिछली सरकार ने बहुत भार मचाया, पूरी दुनिया में गई और सैरे करी। कभी साथ मंत्रियों को, कभी एम0एल0एज0 को, कभी आफिसरर्ज को और कभी इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को साथ ले गए थे। स्पीकर साहब, यह लूट की इण्डस्ट्री पिछली सरकार के वक्त में थी। उस वक्त में हरियाणा में कोई दूसरी इण्डस्ट्री नहीं आई थी सच बात तो यह है कि जो यहां पर हजारों उद्योग थे वे इनकी लूट के कारण हरियाणा से प्लायन कर गए और इन्होंने जो अपराधों को हरियाणा में एन्क्रेज किया उस कारण से भी उद्योग प्लायन कर गए थे। अब स्टेट में परोपर वातावरण बना है, लोगों का विवास और इण्डस्ट्रियालिस्ट का विवास संरकार में और इस प्रांत के लोगों में दुबारा से बना है। इस समय में यह बिल लाना बहुत ही एप्रिं एबल है। यह बिल बहुत ही अच्छे समय में लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिल में एक तो यह नहीं बताया गया है कि जो तीन टायर कमेटीज बनेंगी जैसे हाई पावर्ड कमेटी है, स्टेट की कमेटी है या डिस्ट्रिक्ट कमेटी है तो इनके कौन लोग मैम्बर्ज होंगे, कौन लोग इनके चेयरमैन होंगे क्योंकि हमको इस बात का खद गा है कि अगर इनके मैम्बर्ज और चेयरमैन अफसर गाही के लोग ही हुए तो फिर लालफीता गाही को पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकेगा। मैं समझता हू कि

टैक्नीकल लोग, डिपार्टमेंट सैक्रेट्रीज और कंसर्ड ओफिसर्ज इन कमेटी के मैम्बरज होने बहुत जरूरी है लेकिन ऐक्चुअल में पूरी कमेटी की जो लगाम होगी, जो इनका स्टैयरिंग होगा व किन लोगों के हाथ में होगा? मैं यह भी चाहूंगा कि जब मंत्री जी जवाब दे तो वे हाउस को इस बारे में अवगत करवाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई दफा इस बिल की तीन चार क्लोज पढ़ी है क्योंकि मैं खुद इनको समझना चाहता था लेकिन हो सकता है कि मैं इनको समझ नहीं सका हूंगा। इसमें हर क्लोज में एक ही बात आयी है कि मैं इस बिल की एक क्लोज को पढ़ देता हू। स्पीकर साहब, इस बिल के चेयर 2 की क्लोज 2 (वी) में लिखा है कि—

“ The member of the Committee shall Personally attend the meeting and in case he is unable to attend the meeting, he may depute a senior level officer to attend the meeting with a written authorization to take appropriate decision in the meeting.”

यह बहुत जगह आया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, हाई पावर्ड लेवल पर भी कि the member of the Committee. A member of the Committee. होता तो ऐप्लीकेबल हो सकता था बहुत से आफिसर्ज के लिए भी और बहुत से लोगों के लिए भी। The member of the Committee is a particular person. वह कौन है वह जरा मुख्यमंत्री जी जवाब देते वक्त इस पर रोशनी डालने की कोशिश करें। बाकी इस बिल के बारे में जितना भी कहा जाए वह थोड़ा है। अभी मुख्यमंत्री जी और अधिकारी भी विदे

जाकर आये है और बहुत सी कम्पनियां जैसे कोरिया और जापान की कम्पनीज है उनसे वे जो बडा वायदा लेकर आये है और बहुत एनकरेजिंग है। इसके अलावा उनकी यहा पर भी पिछले दो चार महीनों मे इस बारे मे काफी मीटिंग्ज हुई है। इस सरकार ने आने के बाद काफी विदे री लोग स्टेट इन्वैस्टमेंट करने के लिए आये भी है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही उत्साहजनक बात है मे समझता हू कि कि इसमे और डिले की जरूरत नही है। सारी फार्मेलिटीज और लालफीता गही को ड्रैस्टिकली कट करना ही चाहिए और एन्टरपिनयोर को एनकरेज करना चाहिए। इसी से हरियाणा की बढ़ती हुई बेरोजगारी दूर होगी, इसी से हरियाणा का सामाजिक और आर्थिक पिछडापन दूर होगा और दिमाग मे रो गनी आएगी। मुझे उम्मीद है कि परमात्मा हमारे सज्जे हाथ बैठने वालो को भी रो गनी देगा।

श्री नरे ग यादव (अटेली): आनरेबल स्पीकर साहब, यह जो इण्डस्ट्रियल प्रमो गन बिल आज हाउस मे लाया गया है इसके लिए मे सरकार को मुबारकवाद देता हू। हमारे दक्षिणी हरियाणा मे अहीरवाल क्षेत्र मे महेन्द्रगढ जिले को मोस्ट बैकवर्ड घोशित किया हुआ है। पिछले विधान सभा सत्र मे भी इस बारे मे काफी बहस हुई थी। तब हमारे उधोग मंत्री ने यह कहा था कि महेन्द्रगढ जिले की डिवैल्पमेंट की जाएगी और वहा पर इस बारे मे सर्वे करवाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, उस समय मेने सुझाव दिया था कि अटेली के नजदीक लगता हुआ बहरोड जिले का जो नीमराणा औधोगिक

क्षेत्र है यह हमारे जिले की सीमा से केवल सात किलोमीटर की दूरी पर ही है। आज वहां पर काफी ज्यादा इण्डस्ट्रियालिसट हो रही है और सैकड़ों बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहां पर लग चुकी है। हमारा इलाक भी वहां पर साथ साथ लगता हुआ ही है। हमारा सारा जिला उससे धिरा ही है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि जिला महेन्द्रगढ मे भी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगे? क्या कोई ऐसी स्कीम बनायी जाएगी कि जब इण्डस्ट्रियालिसट नीमाराणा मे जाए तो वे यह भी सोचे कि नीमाराणा के नजदीक जो नांगल चौधरी, अटेली मंडी या नारनौल का एरिया है वह इंडस्ट्रीज लगाने के लिए अच्छा है और वे वहां पर भी अपना इंडस्ट्रीज लगाने के लिए प्रोत्साहित हो, क्या कोई ऐसा प्रावधान मुख्यमंत्री जी करवाएगे कि लोग अपने इंडस्ट्रीज लगाने के लिए महेन्द्रगढ जिले मे जाए जिससे वहां के हमारे लोगो को रोजगार मिले।

चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना): स्पीकर साहब, मैं हरियाणा इण्डस्ट्रियल प्रमोशन बिल का समर्थन करता हू, लेकिन इसके बारे मे 2-3 सुझाव देना चाहता हू, क्योंकि बिल के आने से यह ठीक है कि प्रदेश का बहुत आर्थिक लाभ भी होगा, बेरोजगारी खत्म होगी और पिछले पांच सालो मे जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहां से चली गई, कोई भिवाडी चला गया, कोई भददी चला गया और कोई नालागढ चला गया और ऊपर का दिखावा यह होता रहा कि हरियाणा बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन अब वाकई मे

इसे कानून की भावना दे दी है और यह जाहिर हो गया है कि सरकार इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगी, लेकिन इसके लिए मेरा सुझाव यह भी है कि एक तो जो एरिया आलरेडी इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर्ड है उनको ज्यादा इन्सैटिव दिए जाएं ताकि उन एरियाज की डिक्लेयर्स हो। दूसरी बात मैं नौकरियों के बारे में कहना चाहता हूँ कि जीब्स तो आएगी और फाइले क्लीयर करने के लिए सारा प्रावधान कर दिया, सब कुछ मिलेगा, सभी तरह की असिस्टेंस मिलेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, लेकिन कम से कम जो नॉन टैक्नीकल जोब्स हैं वह हरियाणा के ही डौमिसाइल्स को मिलनी चाहिए, बाहर के लोगों को न मिले इससे हरियाणा के बेरोजगार नवयुवकों को भला हो सकता है। यह मेरा सुझाव है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला जी ने एक कमेटी के बारे में पूछा है और उसके कास्टीब्यूटन के बारे में पूछा है कि अगर इस एक्ट को 2 के देखा जाए तो उसके अंदर यह प्रिस्क्राइव किया है prescribed means, prescribed by rules made under the Act, इस कमेटी का गठन रूलज के अंदर किया जाएगा मोटे तौर पर सेल्ज का प्रारूप तैयार किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे हाउस को और मैबर साहेबान को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि टैक्नीकल ऐक्सपर्ट्स और जिम्मेदारी आफिसर्स इस कमेटी के अंदर आएंगे। पूरी पारदर्शिता इसकी फंक्शनिंग में होगी। कहीं कोई कोटाही की गुंजाइश हम नहीं छोड़ने वाले। जहां तक इसके

स्टेयरिंग का सवाल है इसका स्टेयरिंग चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा जी के हाथ में है और वह ठीक चलेगा। माननीय सदस्य श्री नरे । यादव ने दक्षिणी हरियाणा के बारे में पूछा है मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसका इस प्रकार का इंडस्ट्रियल प्रमो ।न बिल ही जवाब है। इसका इरादा आपके उद्योगों को आगे जाकर राजस्थान में न जाने देने का है। हम उनको थोड़े समय में पारदर्शिता से ईमानदारी से यहीं पर सुविधायें देंगे तो कोई कारण नहीं है कि बड़े उद्योग आपके इलाके को छोड़कर आगे जाएंगे। अगला फोकस पूरी सरकार का चाहे पानी का मामला है, चाहे बिजली का मामला है, चाहे उद्योग धंधों का मामला है, उसका हमारा केन्द्रबिंदु दक्षिणी हरियाणा है और आप आ वस्तु रहें, आप अगले कुछ दिनों में कुछ महीनों में परिवर्तन देखेंगे, जमीन स्तर पर भी, रोजगार के सृजन में भी और निवेश के अंदर भी परिवर्तन देखेंगे। माननीय श्री धर्मपाल सिंह मलिक ने इसके अलावा बैकवर्ड क्लासिज एरियाज को इंसेंटिव देने की बात कही है। मेरी जानकारी के मुताबिक बताना चाहूंगा कि एल0ए0डी0टी0 और वैंट दोनों को अभी तक कुछ इंसेंटिव हरियाणा की सरकार बैकवर्ड क्लासिज एरिया को देती है हमारे इण्डस्ट्रियल पॉलिसी की कापी मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा ताकि माननीय सदस्य इसकी पूरी जानकारी ले सकें। चौधरी धर्मपाल मलिक ने हरियाणा के बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार सृजन की बात कही है यह हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है और जो इन्होंने केवल नॉन टैक्नीकल जॉब्स की बात कही है, केवल नॉन

टैक्नीकल ही नहीं टैक्नीकल जोब्स भी दी जाएगी। एजूके इन सिटी का गठन आपकी सरकार कर रही है। अलग अलग शिक्षण संस्थानों का जो प्रसार है वह यह सरकार कर रही है ताकि हमारे यहां के बच्चे टैक्नीकल पोस्ट और नॉन टैक्नीकल पोस्ट दोनों में अक्वल आए। मैं माननीय सदस्य को आवसत करना चाहता हू कि इन उद्योगों के अंदर काम हरियाण के मूल निकासियों को ही मिलेगा, मैं आपके माध्यम से सदन से यह अनुरोध करता हू कि यह बिल पारित कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

16.45 hrs.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 15th December, 2005)